आंध्रा प्रदेश महिला समता सोसाइटी

वार्षिक रिपोर्ट-1995-96

भूमिका

उत्पन्न प्रवर्तक शक्ति की गति के संग चलना इस वर्ष की सबसे बड़ी चुनौती रही है। इस साल हमारे और संघ महिलाओं के संबंध दूसरे कार्यक्रमों के साथ बढ़ने लगे।

पिछले कुछ सालों में हमने महिलाओं के संघों में व्यवस्थित करने पर ध्यान डाला। हमें यह ऐहसास हुआ कि संघ अलग अकेला नहीं चल सकता और परिस्थितियों के साथ-साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। अब, जबकि कार्यक्रम अनुभवी व विश्वसनीय हो चला है, हमारी पहुँच को और फैलाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ तथापि यह है कि इन पारस्परिक संबंधों के मूय इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि बड़ी महिला समाख्यों के लक्ष्यों और तरीकों को नज़र अंदाज़ न किया जाए।

इस प्रक्रिया के दौरान जब हम अपनी क्रियाओं का दायरा फैला रहे थे, तब इस बात की जागृति थी कि हमारा लगातार प्रतिबिंब कर, हमारा दिशा को सही मार्ग पर रखना आवश्यक था। जहाँ तक हमारा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना और उसका प्रभाव हमारे क्रम पर पड़ने का था, कई प्रश्न उठाए गए।

संघ की माँगें और हमारे कार्यावली में आलिंगन कार्यक्रम की योजना, भविष्य दिशाएँ, इन सभी विषयों में समझ बढ़ाने के लिए कई वर्कशाप प्रायोजित किये गए। ग्राम व मण्डल स्तरों पर, सबल संघों की भविष्य, भूमिका संघों की क्रियाएँ आदि विषयों पर काफी विचार विमर्श किये गए। यह सब चर्चा भविष्य में एपी.एन.एस.एस. को इन क्षेत्रों से हटाए जाने के प्रसंग में की जा रही थी और इस के आधार पर भविष्य जरूरतों को ध्यान में रख, और हमारी क्षमताओं को विकसित करने की योजनाएँ बनाई जा रही थीं।

फैलाव एवं बड़ाव

1995-96 के दौरान दोनों प्रान्तों में कार्यक्रम का फैलाव नए मण्डलो में आकृतिक ढंग से हुआ ।

जुलाई 1995 में महबूबनगर में नरवा और मागानूर के मण्डलों में हमारा काम शुरु हुआ । 1995 तक हमने सभी संस्थाओं पर अधिपत्य कर लिया था ।

अगस्त 1995 में जब प्रान्तीय शासन के द्वारा "माँ लक्ष्मी पोदुपु कार्यक्रम" (माँ लक्ष्मी बचत कार्यक्रम) जो प्रान्तों के पूरे 64 मण्डलों में स्थापित किया जा रहा था, उसी समय नरवा एवं मागनूर प्रान्तों में हमारा काम शुरु हो चला था । इस कार्यक्रम की स्थापना कलाजाथाओं के द्वारा की गई थी । नरवा मण्डल के लिए चुने गए नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे कर नरवा कलाजाथा दल में शामिल किया गया ।

नए मण्डलों में, विशेष रुचि के साथ प्रवेश करने में, अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, विशेषकर नरवा मण्डल में । कलाजाथा के बाद महिला सामख्या नीतियों पर केन्द्र करते वक्त नरवा कार्यकर्ताओं को प्रारम्भ में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योकि उन्होंने कैफियत प्रणाली को नहीं अपनाया था ।

मेदक में हमारे कार्य का फैलाव कुछ धीमी गति से हुआ । टेकमल, शंकरमपेट और पापन्नापेट मण्डलों में काम, फरवरी 1996 मे प्रारम्भ हुआ ।

पारस्पर संबंध बनाने की प्रक्रिया दोनों प्रान्तों के नए मण्डलो में आसान (हो गया) था क्योंकि वहां की महिलाओं ने आस-पड़ोस की मण्डल महिलाओं से ए.पी.एम.एस.एस. के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर ली थी । पिछले दो वर्षों के अनुभव के आधार पर नए कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्य का परिचय नए गांवों में सरलता से किया ।

साल के अंतर्गत हमने काफी, कार्यकर्ताओं एवं संसाधन व्यक्तियों के खाली पदों में उचित लोगों को नियुक्त किया । चुनाव एवं शिक्षा नीतियों के तरीकों में कई परिवर्तन लाए गए । सभी नए सदस्यों को सबसे पहले 4 हफ्तों के लिए क्षेत्र में भेजा जा रहा है और उसके उपरान्त ही उनकी औपचारिक शिक्षा आरम्भ की जा रही है । विभिन्न प्रशिक्षण जरूरतों का सामना करना कठिन साबित हुआ है । कुछ कार्यकर्ताओं को पुराने मण्डलों में, जहां संघ शक्तिशाली थे, वहां काम करना पड़ा को कुछ को एकदम ही नए ग्रामों में भेजा गया ।

नए सदस्यों की क्षमता प्रान्त कार्यालय द्वारा आयोजित औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा बढ़ाई गई, और क्षेत्र प्रशिक्षण डी.आई.यू. कोर दल द्वारा आयोजित किया गया ।

यह पहचानना ज़रूरी है कि संघ सदस्यों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है । सामान्य तौर पर हर एक कार्यकर्ता, संघ सम्मेलनों के द्वारा 300 महिलाओं से लगातार संपर्क रख पाते हैं । किन्तु मेदक प्रान्त के रिगेड और अल्लादुर्ग मण्डलों में कुछ संकटों का सामना करना पड़ा । अल्लादुर्ग में कार्यकर्ताओं के साथ कठिनाइयाँ होने के कारण ग्रमीण कार्य पर असर पड़ा । दो कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों के बावजूद रिगेड में हमारे काम की स्थापना आसानी से नहीं हो पाई ।

महबूबनगर के नरवा मण्डल के तीन कार्यकर्ता जबकि हर एक गांव की 100 महिलाओं से संपर्क 'अल्प व्यय कार्यक्रम' द्वारा रखते हैं, तब भी संघ दलों में उतना आपसी मिलाप नहीं है जितना कि दूसरे मण्डलों में है ।

कुछ मण्डलों में कार्यकर्ताओ के शीघ्र बदलाव, व उनका प्रभाविकता के साथ संवादशील न रह पाने का असर, संघ की उन्नति पर पड़ा ।

जहाँ तक व्यवधानों (इन्टरवेनशन) और क्रियाओं की योजनाओं का सवाल था, 1995-96 का काल विकेन्द्रीकरण रहा है । डी.आई.यू. का स्वाधीन होना और स्वयं कदम उठाने के साथ, प्रान्त कार्यालय ने एक सुविधाजनक भूमिका अपना ली ।

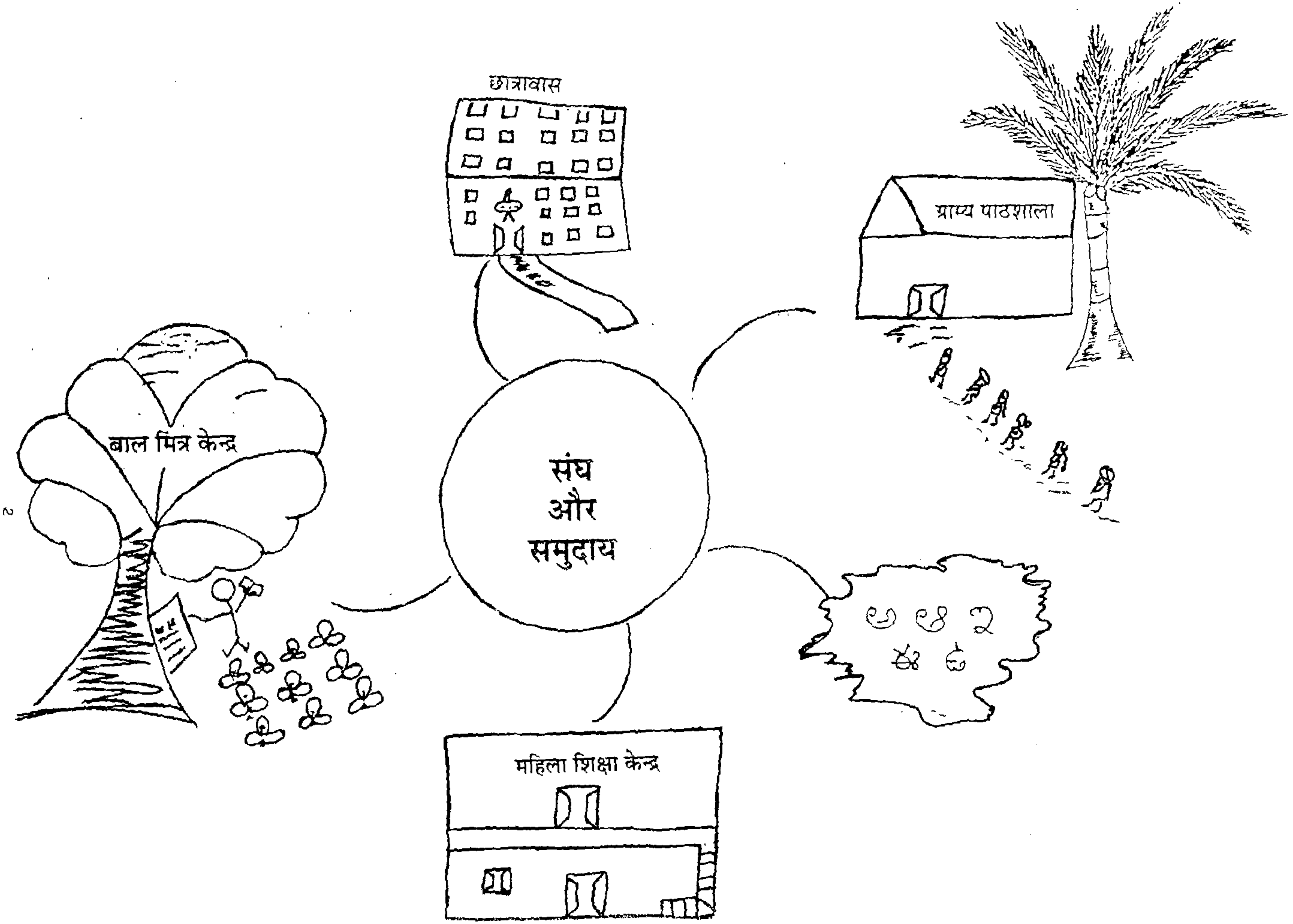
छात्रावास
ग्राम्य पाठशाला
बाल मित्र केन्द्र
संघ और समुदाय
महिला शिक्षा केन्द्र

शिक्षा

साक्षरता एवं बच्चों व बालिकाओं के बाल शिक्षा के विषय को ए.पी.एम.एस.एस. ने प्रारम्भ से ही प्रचार किया । पाठाशाला एवं छात्रावासों में बच्चों को भारती करना, एक लगातार प्रक्रिया रह चुकी है ।

इस साल के अंतर्गत हमने सफलतापूर्वक विभिन्न बाल शिक्षा विघ्नों का अंत किया और व्यस्क साक्षरता के क्षेत्र में अपने प्रयत्नों का पथप्रदर्शन करना चाहा ।

बालिका बाल शिक्षा
बाल मित्र केन्द्र

1995-96 में हमने पिछले साल के केम्प तरीके को छोड़, दूसरी नीति को अपनाया । 1994-95 में रखे गए केम्पों ने कई लड़कियों को आकर्षित नहीं किया था । तथापि इसका प्रभाव संघ की रुचि से पता चला, जो अपने ग्रामों में बालिकाओं के लिए केन्द्र स्थापित करना चाहते थे । विशेषकर महबूबनगर में मिले उत्तर बहुत संतुष्टमय रहे ।

इस विषय पर दल व संघों में काफी वाद-विवाद हुए । जबकि कार्यक्रम में बाल-कार्य के बारे में ज्यादा संबोधित नहीं किया गया, उसको रोकने का एहसास सब में था । हमने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया । हमारे लिए यह अनौपचारिक ढंग, मेहनती बालिकाओं के लिए नहीं स्थर लगा ।

बाल-मित्र केन्द्र (अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र) , जो हमने शुरू किये, एक फुल की तरह थे, जो बालिकाओं को औपचारिक पाठशालाओं से जोड़ रहे थे । ये साफ था कि 5 से 10 वर्षीय बच्चों का पाठशाला में भरती होना आवश्यक है । यह केन्द्र घर पर या बाहर काम करने वाली बालिकाओं के लिए था । महबूबनगर के युक्ति क्षेत्र में रुई का ढेरों में लगने के कारण, कई नवयुवतियों को रुई चुनने के लिए रखा गया, जिससे उन्हें प्रतिदिन 10-15 रुपयों की रोजी आमदनी प्राप्त होती थी ।

बाल शिक्षा के प्रति, माँ-बाप का उत्तरदायित्व, इस मुद्दे पर काफी विचार विमर्श किये गये, विशेषकर बालिकाओं के संधर्प में । 1995 के उत्तरार्ध तक महबूबनगर के संघों से निश्चित आशावादी उत्तर मिल रहे थे । मेदक में इस प्रक्रिया की गति और धीमी रही ।

इसको रोकने के लिए किन सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर हमारे बीच लीन विचार विमर्श हुए । हमारी ये कामना थी कि सहकारिता और ओनरशिप जैसे कार्यक्रम के उपायों को सच्चाई में बदल दिया जाए । हमें इसका एहसास था कि ये सब तभी कर सकते थे जब अध्यापक के पढ़ाने के भाड़े का उत्तरदायित्व संघ और माँ-बाप के बीच बांट दिया जाए ।

केन्द्र शुरू करने की प्रक्रिया संघ के चुने अध्यापिकाओं ने स्वयं की । अत्यधिक गांवों में शिक्षित महिलाएं न मिलने के कारण, शिक्षित नौजवानों को चुना गया ।

सबसे कठिन क्षेत्र अध्यापक के वेतन का था ।

अध्यापकों को कौन वेतन देगा ? इस विषय पर वार्तालाप डी.आई.यू. संघ, व माता-पिताओं के बीच हुई । हमारी ओर से यह बात स्पष्ट थी कि शिक्षकों का पूरा वेतन भार, ए.पी.एम.एस.एस. नहीं उठा पाएगी ।

शिक्षकों के वेतन का हिसाब दस रुपये प्रति शिष्य, प्रतिमास लगाया गया । उसका विभाजन कुछ ऐसा था —

संघ की ओर से चंदा -	रु.	1
माता-पिता की ओर से -	रु.	3
ए.पी.एम.एस.एस. का अंशदान -	रु.	6
	रु.	10

(ए.पी.एम.एस.एस. द्वारा मिले 6 रुपयों में से केवल 3 रुपये हर महीने शिक्षक को दिये जाएंगे और बाकी के 3 रुपये बच्चों की एम.एल.एल. प्रगति से संधान रखेंगे । एम.एल.एल. प्रगति का निरीक्षण त्रिमासिक किया जाता है ।

यह वेतन शिक्षकों को संघ के माध्यम से दिया जाता है ।

केन्द्र में आने वाली अत्याधिक बालिकाओं ने कभी पाठशाला नहीं देखी थी । अतः यह निर्णय लिया गया कि " ऋषि वैली ग्रामीण शिक्षा किट" - "डिब्बे में स्कूल" का प्रयोग कक्षा 4 तक किया जाएगा ।

हमारे प्रयत्न केवल उनके पढ़ने - लिखने की शिक्षा तक ही नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जागृति, खेल-कूद, संस्कृतिक कार्यक्रम, अंतह कलाओं को उभारना, इन सभी विषयों पर अध्यापक द्वारा बनाए अभ्यास की सहायता , शिक्षा प्रदान करने का था । बाल मित्र केन्द्र का वातावरण एक दैनिक पाठशाला के सामान्य था । बच्चों की योग्यता की जाँच एम. एल. एल. पर आधारित परीक्षा से की जाएगी, ऐसी विचार गोष्ठी थी ।

बाल मित्र केन्द्र की शुरुआत जून 18, 1995 में महबूबनगर और मेदक में हुई ।

महबूबनगर में सब से पहले 'किट' के प्रयोग की शिक्षा, वी.आई.पी. (एक, एन.जी.ओ.) द्वारा अध्यापकों को दी गई । इसके बाद प्रतिमास समालोचन व योजना सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसका संचालन, महबूबनगर के संसाधन व्यक्ति ने किया । शिक्षकों ने अपने केन्द्रों के प्रगति पत्र दिखाए । इन मासिक सम्मेलनों ने कई स्त्र-पुरुष संबंधित मुद्दों को सामने रखने का मौका भी दिया । महबूबनगर में यह प्रयत्न, बहुत सफल रहा । दूसरी ओर, मेदक में केवल ऐसे एक ही केन्द्र होने के कारण, ज्यादा प्रयत्न नहीं लगाए गए ।

बाल मित्र मेला

नवम्बर 13 और 14 को महबूबनगर के उटकूर मण्डल में बाल मित्र मेला का आयोजन किया गया । इसमें 140 बालिकाओं ने भाग लिया । एक न्यूनतम पद पर प्रशिक्षण परीक्षा, समझ, पहचान, लिखाई और सीखे गानों की जांच करने के लिए की गई मण्डल अधिकारियों और चुने गए प्रतिनिधियों को भी इस मेले में आमंत्रित किया गया । भाग लेने वाली सभी बालिकाओं को छोटे पुरस्कार प्रदान किये गए ।

बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने के इस प्रदर्शन का एक लहरीय प्रभाव महबूबनगर पर पड़ा, जहां मार्च 1996 तक केन्द्रों की संख्या 18 से बढ़ कर 35 तक हो गई थी । मेदक में भी फरवरी 1996 के अन्त तक, 14 केन्द्रों की शुरुआत हो गई थी ।

1995-96 के दौरान दोनों जिलों में तकरीबन 1027 बाल-बालिकाओं ने इन केन्द्रों में आना आरम्भ कर दिया था।

बाल मित्र केन्द्र 1995-96

	बालिकाएँ	बालक
महबूबनगर	627	240
मेदक	160	

इन केन्द्रों को चलाने में संघ व माता-पिता, दोनों ही एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने प्रतिदिन शिक्षकों का आना, और मार्ग में आई कोई भी विघ्न बाधाओं का रिपोर्ट करना, इन दोनों बातों की सुरक्षित ढंग से ध्यान रखा। महबूबनगर के संघ के 7 केन्द्रों के अध्यापकों को पदच्युत किया गया क्योंकि एक तो वे अनियमित थे और दूसरे अपने प्रशिक्षण काल में सीखे गए सभी विषयों की शिक्षा नए चुने अध्यापकों को देने पर अटल रहे।

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में बालिकाओं ने सामान्य स्कूलों के बच्चों के संग मिल, केन्द्र में सीखे गए गाने और कविताओ को प्रदर्शन किया। शाम के समय, अब, कई गांवों में औपचारिक पाठशालाओं के बच्चे, केन्द्र में आते हैं।

महबूबनगर के वानैयकुन्टा गांव के सरपंच ने 5 लीटर केरोसिन स्वयं केन्द्र को देना निश्चित किया, यदि वहाँ के बच्चों ने पढ़ने-लिखने में उत्सुकता व रुचि दिखाई।

एक ग्रामीण ने कहा कि 'रात स्कूल को गांव के हमारे क्षेत्र से कई बच्चे जाते हैं, किन्तु अंधेरे के कारण हम ही उन्हें अकेला नहीं भेजना चाहते।' इस पर सरपंच ने क्रोधित होकर उत्तर दिया 'शायद गांव में दो-रात्र पाठशालाएँ खोली जाए तो सब को सुविधाजनक लगे ?'

संघ के नेता ने तुरन्त एकत्रित भीड़ से कहा - 'यह हमारी संघ सम्मेलन है और इसमें पुरुष न दखल अंदाजी दें, तो बेहतर होगा।' यह एक संघ है, एक गांव है। हम इसे बटने नहीं देंगे। इन वाक्यों ने सभी के मुँह बंद कर दिये।

महिला शिक्षा केन्द्र (एम.एस.के.)

बढ़ती बालिकाओं व नवयुवतियों की शिक्षा के मुद्दों पर सम्बोधित करने के हमारे प्रयास के अंतर्गत हमने एक साल का आवास स्थल कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया। हर जिले में इसे महिला शिक्षा केन्द्र कहा गया। महबूबनगर में दिसम्बर 1995 में एम.एस.के. की शुरुआत 30 बालिकाओं से हुई। इनमें कई बालिकाओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। मेदक में मार्च 1996 में एम.एस.एस.के. की शुरुआत 34 लड़कियों से की गई जो कभी पाठशाला नहीं गई थी। इनमें से कुछ नवयुवतियां बहिष्कृत बाल वधुएँ थी, तो कुछ की माताओं ने शादी से बचाने के लिए उन्हें केन्द्रों में भेज दिया था। केन्द्रों के आरम्भ से पूर्व माता-पिता के साथ कई बैठकों का आयोजन किया गया। माता-पिता इस बात के इच्छुक थे कि सिलाई-कढ़ाई को निर्धारित पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाए।

नियमित पाठ्यक्रम इस ढंग से बनाया गया है जिससे सीखने और सवाल-जवाब की प्रक्रियाओं को और विकसित किया जा सके।

पढ़ने-लिखने के साथ-साथ बालिकाओं को स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनैतिक, वकालत तथा वर्तमानकालीन घटनाओं, आदि के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा पोषशाला (नरसरी) की देख-रेख, फ्रीमेसन संबंधि शिक्षा (मेसिनरी), (हैण्ड पम्प) हस्त उदंच की देख-भाल व मर्म्मत और जड़ी बूटियों से दवा बनाना, ऐसे जीविका शिक्षणों का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक ये भी है कि हम इन नवयुवतियों को प्रशिक्षण देकर प्रबंधकर्ता के रूप में उभारें।

गत कुछ महीनों में इन बालिकाओं में विशेष परिवर्तन दिखाई दिए। खास कर महबूबनगर में इन्होंने जाति-भेद-भाव को छोड़ कर एक सामूहिक रूप में रहना सीख लिया। वे सब कुशाग्र होने के साथ-साथ अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हैं। जब भी वे घर जातीं, तो निजी स्वच्छता, घर की सफाई और संतुलित पौष्टिक आहार पर अपना ध्यान देतीं। जो कुछ भी उन्होंने सीखा - गाने, नृत्य, नाटक भाग, एवं अन्य जानकारी आदि. वे सब अपने पास-पड़ोस की महिलाओं को सिखातीं।

वे सब, आत्मविश्वास से भरपूर, अपने भविष्य के बारे में काफी आशावादी हैं। मेदक में तो कई नवयुवतियों ने घर जाकर शादी करने से इनकार कर दिया है। कुछ चाहतीं हैं कि कक्षा 7 से 10 की परीक्षा के उपरान्त वे अध्यापक बने, तो कुछ जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ बनना चाहती हैं और कुछ पुलिस अकादमी में भर्ती होना चाहती हैं।

साक्षरता

यह बात दोबारा कहना आवश्यक है कि साक्षरता के क्षेत्र में हमें लगातार संकटो का सामना करना पड़ा है। खेती-बाड़ी का मौसम शुरू होते ही, साक्षरता की कक्षाओं की गतिविधि धीमी हो जाती है।

इस साल के अंतर्गत महबूबनगर के 35 ग्रामों की संख्या, जहाँ साक्षरता का वितरण किया जा रहा था और 274 महिलाएँ पढ़-लिख रही थी, गिर कर 27 तक पहुँची। मेदक में भी कुछ ऐसा ही चलन दिखाई पड़ा। 29 संघों में जहां 373 महिलाएँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उनमें से 100 महिलाएँ छोटे अक्षर पढ़ना सीख चुकी हैं और 50 को तो लिखना भी आता है। इन संख्याओं में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

साक्षरता प्रयत्नों को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न समरविधाओं के बारे में सोचा गया। मेदक में यह एहसास हुआ कि महिलाओं को लिखने से अधिक पढ़ाना आसान जान पड़ता है। चाक या कलम का प्रयोग करना कुछ कठिन सा लगा। अतः हमने अब अपना ध्यान महिलाओं को पढ़ाना सिखाने पर डाला है। हमें एहसास हुआ कि उनके लिए पढ़ना, लिखने से और महत्वपूर्ण था। हमारी कोशिश ऐसी थी, कि हर संघ में कम से कम 2 या 3 नवयुवतियां पढ़ने के साथ-साथ लिखना भी जानती हों।

महबूबनगर में शिविर (कैम्प) तरीकों को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रत्येक महीने हर संघ में से 10 उत्सुक एवं कौशल महिलाओं को चुन कर दो दिन के प्रशिक्षण कार्य के लिए भेजा जाएगा।

कुछ ग्राम के शिक्षित पुरुष और महिलाओं को अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महबूबनगर में कई स्थानों पर एन.एफ.ई. शिक्षक, साक्षरता शिक्षक भी हैं, किन्तु अब उन्हें अलग करने का निर्णय लिया गया है। मेदक में कुछ गांवों में तो अध्यापक को हर शिष्य से दो रुपये मिलते हैं।

दोनों जिलों के साक्षरता शिक्षक प्रतिमास मिलते हैं। वहां उन्हें विभिन्न पढ़ाने के तरीकों पर व उन के सही उपयोगों पर मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। फ्लैश-काडस, मुहावरे, चित्र, कुटोक्ति (पज़ल), गाने, कहानियाँ इत्यादि, जो वे अपने प्रतिदिन की जिंदगी से जोड़ पाते, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण ने उन अध्यापिकाओं एवं संघ की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जिन्हें शिक्षा के महत्व का ऐहसास हो चुका था।

महबूबनगर में 1993 में, टी.एल.सी. की स्थापना में ए.पी.एम.एस.एस. एक सक्रिय भाग लेगी। इस व्यवस्थित आंदोलन से हमारे साक्षरता के व्यवधान (इन्टरवेनशन) और भी सबल होगें, ऐसा हमारा अनुमान है। 1995 के अंत तक ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि हमें अपने संस्कारों को, और दृढ़ बनाना है, अपने नीतियों और बालिका एवं बाल शिक्षा के क्षेत्रों में उन्नति लानी है।

1996 के लिए इस सिलिसिले में हमारी खास कोशिश निम्नलिखित आधारों पर रहेगी।

1. माता-पिता व अध्यापिकाओं की समिति की स्थापना
2. 5 से 7 वर्षीय बच्चों का कक्षा '1' (एक) में भरती होना।
3. बालिकाओं के लिए बाल मित्र केन्द्रों की स्थापना
4. ग्रामीण दर्जों पर भी 'महिला शिक्षण केन्द्रों' की स्थापना
5. साक्षरता प्रयत्नों को और मजबूत बनाना।

स्वास्थ्य

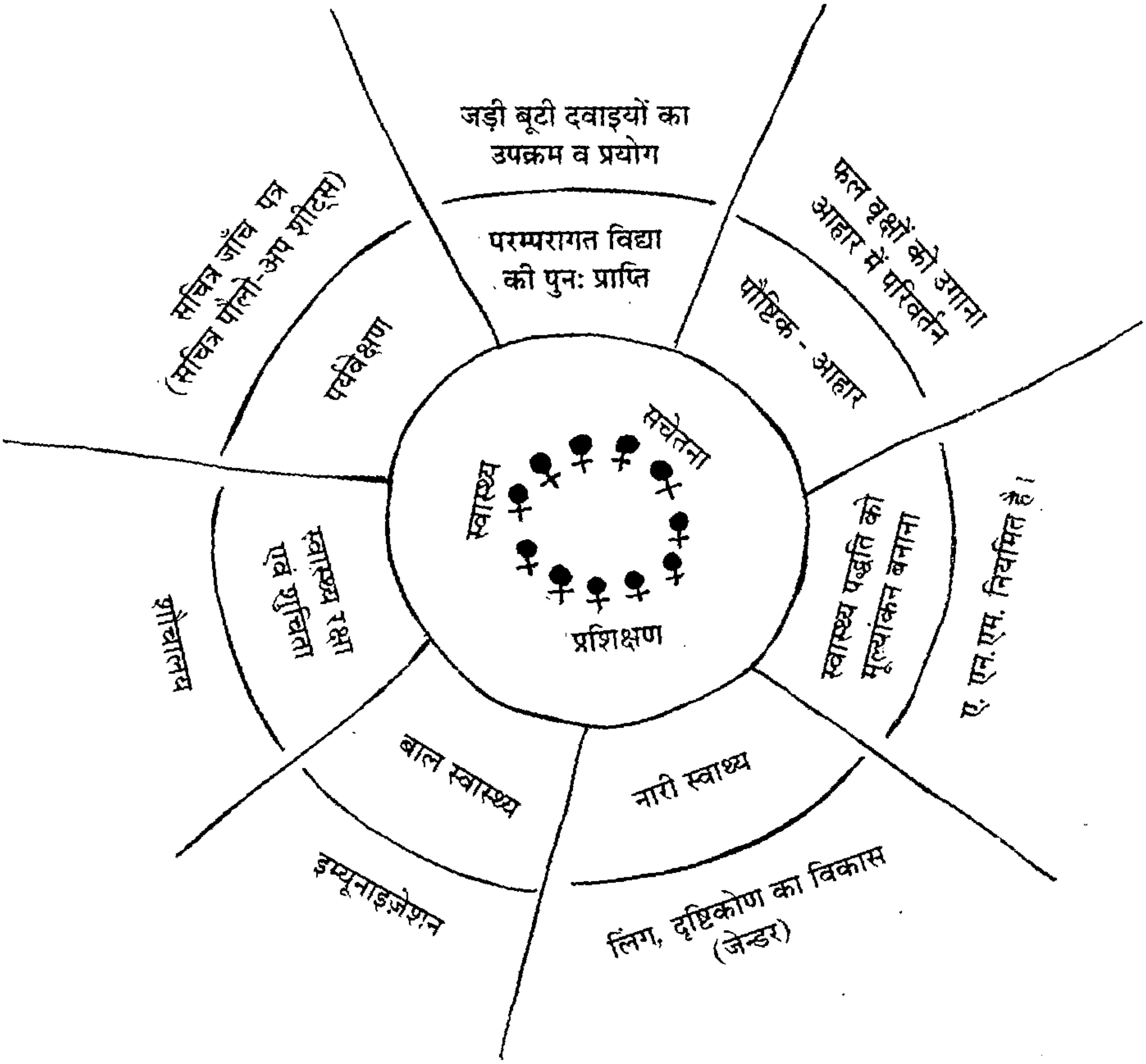

जड़ी बूटी दवाइयों का उपक्रम व प्रयोग
परम्परागत विद्या की पुनः प्राप्ति
फल वृक्षों को आना आहार में परिवर्तन
पौष्टिक - आहार
ए. एन. एम. नियमित है।
स्वास्थ्य पद्धति को मूल्यांकन बनाना
लिंग, दृष्टिकोण का विकास (जेन्डर)
नारी स्वास्थ्य
इम्यूनाइज़ेशन
बाल स्वास्थ्य
शौचालय
स्वास्थ्य रक्षा एवं शुचिता
सचित्र जाँच पत्र (सचित्र पौली-अप शीट्स)
पर्यवेक्षण
स्वास्थ्य
सचेतना
प्रशिक्षण

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य, शिक्षा हमारा एक निरंतर व सबल व्यवधान रहा है। 1995 के उत्तरार्ध में हमने हमारी प्रशिक्षण नीतियों का समालोचन किया। संघ महिलाओं के संग कई बैठकों का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने अपने मनोविचार 'स्वास्थ्य प्रशिक्षण' पर व्यतीत किये। अब तक प्रशिक्षण का मूल्य केन्द्र मात्र व बाल देख-भाल, स्वास्थ्य सुविधाएँ और जड़ी बूटियों की दवाइयों पर था।

महिलाओं के साथ हमारे आदान-प्रदान, शिक्षापूर्ण अनुभव रहे। दोनों जिलों में महिलाओ का यह कहना था कि वे नारी स्वास्थ्य पर, वाद-विवाद व प्रशिक्षण को आधारित करने के पक्ष में थे। शारीरिक दर्द, नारी-संबंधी कठिनाइयाँ, आम कमजोरी आदि ऐसे स्वास्थ्य विषयों पर प्रकाश डालने के हित में थे। जबकि यह मुद्दे हमारे भूतपूर्व प्रशिक्षण कार्य के भाग रह चुके थे, जाहिर है कि महिलाओं के मनोविचार कुछ अलग थे। इन दृष्टिगोचरों के आधार पर हमने नारी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यों की स्थापना करने का विचार किया।

नारी स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक - आर्थिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को खास कर प्रशिक्षण में लिया गया और महिलाओं को इन के बारे में किस तरह संबंधित किया जाए, उस पर भी प्रकाश डाला गया।

दूसरी तरफ स्वास्थ्य राजनैतिक की समझ को पूर्ण रूप से बढ़ाए जाने के प्रयत्न किये जा रहे थे। कई लगातार अभ्यास किये गए जो कार्यबोझ, पुष्टिकार (न्यूट्रिशन) सांस्कृतिक एवं सामाजिक बहिष्कार, नारी के प्रति समाज का व्यवहार, संसाधन को पाने की असुविधाएं, नारी का अपने प्रति किये अत्याचारों को खुल कर न लड़ पाना समाज में नारी का दर्जा, आदि सभी विषयों पर आधारित थे।

संघ महिलाओं का विश्वास पूर्ण रूप से जीत लेने के पश्चात, इस साल डी.ई.यू. के दलों का आश्वासन था कि वे जन्मनिरोधक विषयों को अपने स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्य में शामिल कर सकते थे।

पिछले वर्ष महबूबनगर मे स्थापित प्रशिक्षण कार्यों में कई महिलाओं ने भाग लिया था। भाग लेने वालों की संख्या हर समय अलग रही। मांग अधिक होने के कारण मकथल व उटकूर मण्डलो में एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रतिमास एक दिन किया जाता था। मई 1995 के दौरान, महबूबनगर में 9 संघों से 11 महिलाओं को 4 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भरती होना पड़ा। यह कार्यक्रम कर्नाटक के श्रीमती गंगम्मा के अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने बीस जड़ी-बूटियों की दवाइयों को बनाने के तरीके सिखाए।

मेदक के चार जिलों में स्वास्थ्य की जागृति का प्रचार और बढ़ चुका है। स्वास्थ्य प्रशिक्षण का दूसरा भाग अप्रैल 1995 में प्रारम्भ हुआ। फिलहाल 26 ग्रामों से 55 महिलाएँ, मेदक में चल रहे स्वास्थ्य प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। महबूबनगर में प्रशिक्षण कार्यक्रम, मास में दो दिन दो विभिन्न स्थानों जोगीपेट और अल्लादर्ग में आयोजित होते हैं।

मार्च में, मेदक में, बाल मृत्यु पर एक निरीक्षण किया गया। इस के उपरांत बच्चों के प्रतिरक्षा के बारे में विचार-विमर्श प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किये गये। परिणामतः कई महिलाओं ने अपने व आंगनवाड़ी बच्चों के गुरुत्व (वेट) पर निरीक्षण किया। 500 बच्चो को प्रतिरक्षा (इम्युनाइजेशन) के लिए चुना गया।

महिलाओं की एक विशेष शिकायत, शारीरिक दर्द की थी । परिणामतः हमने कई एक्यूप्रेशर वर्कशाप की व्यवस्था मटथाल एवं उटकूर मण्डलों में संघ महिलाओं के लिए और मेदक में डी.आई.यू. के दल के लिए की । यह एक हद तक, स्वदेशी एक्यूप्रेशर विद्या को प्रमाणित करता है ।

संघ महिलाओं के बीच जड़ी-बूटी दवाइयों का उपक्रम व प्रयोग काफी प्रचलित है । कुछ ग्रामों में इससे संघो पर आश्वासन बढ़ गया है । और तो और कुछ संघ महिलाएँ जड़ी-बूटियों की पोषशाला खोल, उन्हें बेचने के लिए दुकान भी लगाना चाहती हैं ।

मेदक जिले के पालाडुगु ग्राम के तुलजामा नामक स्त्री ने प्रशिक्षण काल में सीखीं जड़ी-बूटी दवाइयों की विद्या का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया । आस-पड़ोस के गांव से लोग आकर उसकी दवाइयाँ ख़रीदते हैं ।

> अकासानपल्ली गांव के अनडोल मण्डल में जब कई लोग अतिसार रोग (डाएरिया) के शिकार हुए तब संघ ने तुरन्त विधि व्यापार से संकटकाल को संभाला । कोमल अनार के पत्तों से बनी जड़ी-बूटी की दवा गांव में सब को बांट दी गई । फिर उन्होंने ए.एन.एम. से संपर्क कर, ओ.आर.एस. की छोटी गठरियों को गांव में बाट दिया ।
>
> गांव के कुछ लोगों ने अफवाएँ फैला दीं कि ये सब बुरे प्रेतों का प्रभाव था जिन्हें शान्त करने के लिए त्याग व बलिदान की आवश्यकता थी । लोगों के आने-जाने पर पाबंदियां लगाई गई । संघ ने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया । मिलकर वे पी.एच.सी. डाक्टर के पास गए, जिन्होंने वाटर टैंक को साफ करने का सुझाव दिया । संघ ने सफाई का निरीक्षण किया, जिसके अन्तर्गत उन्हें मरी हुई चिपकलियां मिलीं । इस बात ने यह आश्वासन तो दिला दिया कि गांव में फैले जाने वाले संक्रामक रोग कोई बुरी प्रेत या शक्ति के कारण नहीं थे, जैसा कि ग्रामीण वासियों का विचार था ।

नेत्रों से संबंधित रोगों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, खास कर रतौंधी (याने के नाइट ब्लाइंडनेस) दृष्टि (आई साइट) जल प्रपात (काटाराक्ट) इत्यादि के बारे में । डा. सामाथा, जो एक आँखों की डाक्टर हैं और हमारे साथ पार्ट-टाइम आधार पर काम करती हैं, उन्होंने कई नेत्रों की परीक्षाएँ लीं । कई महिलाओं को रतौंधी के आपरेशन के लिए प्रमाणित किया गया । हमारा विश्वास अलग स्वास्थ्य रीति आरम्भ करने में नहीं था । अतः हमारे प्रयत्न स्थापित स्वास्थ्य सुविधाओं के सहयोग से इन महिलाओं के आपरेशन के प्रबंध करने में लगे हुए थे । महबूबनगर में शुरुआत मकथल व उटकूर संघों की महिलाओं से हुआ, जिनसे बिना कुछ पैसे लिए रतौंधी का आपरेशन, लाइन्स क्लब द्वारा स्थापित आँखो के अस्पताल में किया गया ।

1995-96 के दौरान डी.आई.यू. के दोनों दलों ने प्रान्त के विभिन्न स्वास्थ्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमो में सहायता करने के लिए बुलाया । संघ महिलाओं के डी.आई.यू. दलों के साथ मिल कर सक्रियता के साथ "पल्स पोलियो कार्यक्रम" में भाग लिया और लोगों को पोलियो ड्राप्स दालने में सहायता की ।

स्वास्थ्य संबंध विषय, संघों में उच्च प्राथमिकता रखते हैं । अन्य कई महिलाओं में सामान्य रूप से रुचि बढ़ती दिखाई दी है, खास कर उन नारियों में जो संघ के नियमित सदस्यों में से नहीं हैं ।

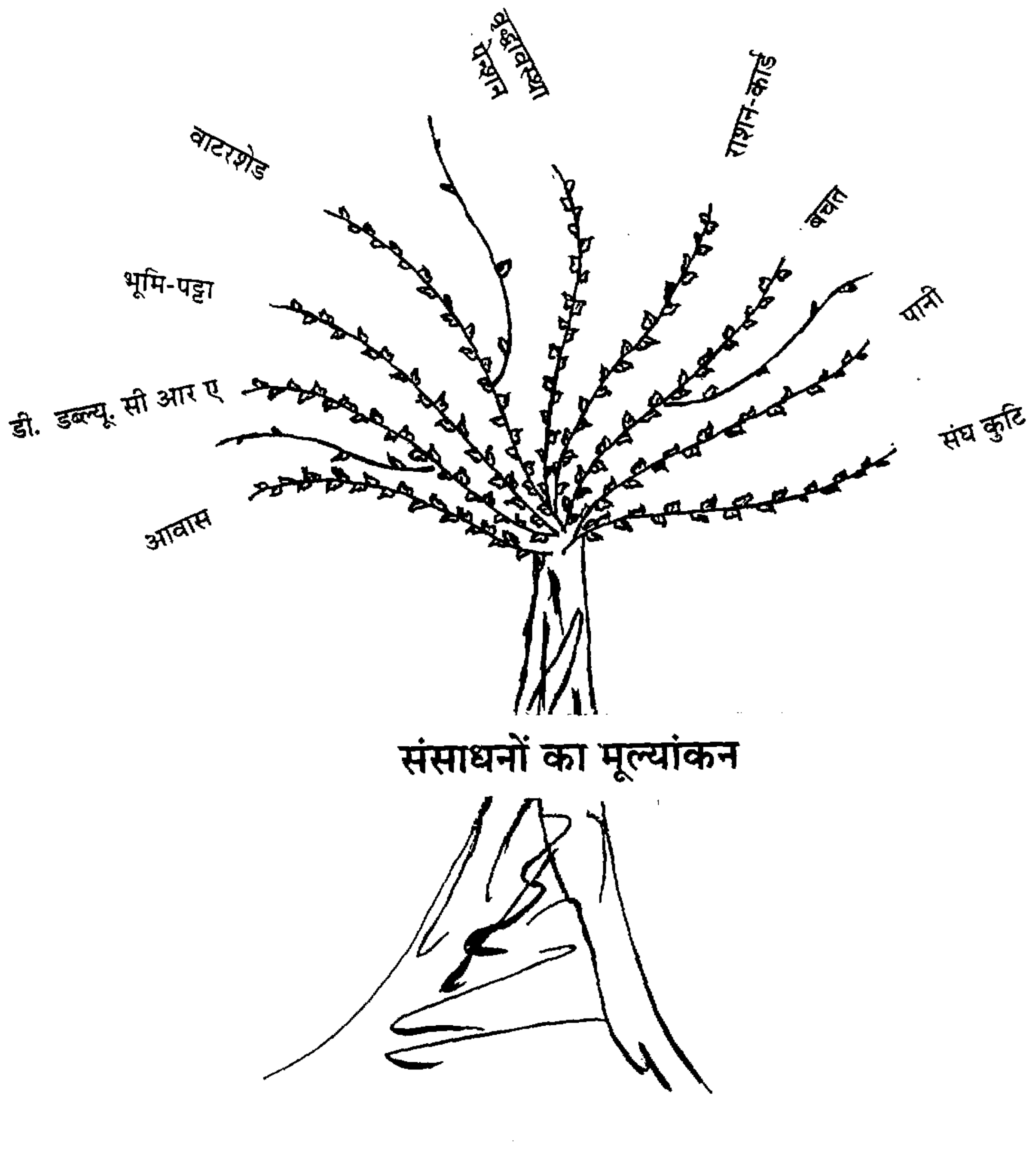
वाटरशेड
भूमि-पट्टा
डी. डब्ल्यू. सी आर ए
आवास
राशन-कार्ड
बचत
पानी
संघ कुटि
संसाधनों का मूल्यांकन

संसाधनों का मूल्यांकन

पिछले साल के दौरान कई अन्य संघों ने सक्रियता से विभिन्न संसाधनों एव उपायों का मुल्यांकन किया। इस बात पर जोर डालना आवश्यक है कि ए.पी.एम.एस.एस. ने भूमिका, जानकारी व प्रारम्भिक सहायता देने में निभाई थी। इसके उपरांत, पूरे प्रार्थना पत्रों का अनुकरण स्वयं संघों ने ही किया।

आवास निर्माण

II. 1994-95 से आवास निर्माण संघों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1995 के अंतर्गत मेदक के 216 घरो को और महबूबनगर के 338 घरों को अनुमोदन दिया गया।

III. यह अनुमोदन प्राप्ति, देढ़ साल के लगातार परिश्रम, कई दफ्तरों के बार-बार चक्कर कटने, व गांव में निरंतर कष्टों का सामना करने, के पश्चात मिली। निर्माण गतिविधियों के आरम्भ ने गांव के संघों के स्तित्व को और मजबूत बना दिया।

IV. महबूबनगर में कई कठिनाइयाँ उभरीं। पेद्दाजाटरम संघ ने सबसे पहले इस विषय पर सक्रियता से कार्य आरम्भ किये, किन्तु जमीन के तादात्म्य को लेकर झंझट होने के कारण, अभी तक निर्माण कार्य का आरम्भ नहीं हो सका। जबकि आर.डी.ओ. ने भी अपना सहयोग संघ को दिया, तब भी इस मुश्किल का सामाधान नहीं किया गया। परिणामतः ग्राम में, संघ के प्रतिरूप को ठेस पहुँची है।

V. दूसरे ग्रामों में, जहाँ निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, कुछ अन्य संकटों का सामना करना पड़ा। चिटयाला व कारने के संघों ने नर्माण के लिए अपना गृहकारक स्वयं ढूँढने का निश्चय किया। जब पुलिमामीडी संघ ने भी ऐसा ही रास्ता अपनाया तो आवास निरीक्षक ने टोकते हुए उन्हें उसी गृहकारक को लेने की मांग की जिसका वे सुझाव रखें। संघ के मना कर देने से कुछ समय तक काम थम गया। अंत में संघ की जिद के सामने निरीक्षक को नतमस्तक होना पड़ा।

शौचालय

'अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई का महत्व' इस विषय पर संघ महिलाओं के साथ लगातार विचार विमर्श हुए। हमने उन्हे व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के उपायों के बारे में बताया। इसमे मजदूर के वेतन के लिए, 400 रुपयो की जरूरत श्रमदान के रूप में पड़ी।

मेदक के 30 संघों से 848 महिलाओं को शौचालय बनाने का अनुमोदन भी मिल गया है। नर्माण क्रिया भी आरम्भ हो गई है। इसके बाद कुछ संघों ने तो फ्रिमेसन संबंधी प्रशिक्षण के लिए मांग भी की है।

मार्ग :

महबूबनगर के "रोजगार बीमा योजना" के न्यून ओबलापुर के उटकूर मण्डल के संघ को मार्ग निर्माण के ठेके का अनुमोदन दिया गया ।

डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. : (DWCRA)

इस साल के अंतर्गत सबल संघों ने डी. डब्ल्यू. सी.आर. ए. को ऋण प्रार्थना पत्र लिखे । महबूबनगर के मकथल मण्डल के लिंगमपल्ली गांव के संघ की योजना, लौरी व ट्राक्टर के अनुमोदन के लिए प्रार्थना पत्र लिखने का है, ताकि डी. आर. डी. ए. से नारायणपेट भाग में पत्थर बेचा जा सकते । दोनों जिलों के कुछ संघ तो, पी.डी.एस. लीडरशिप के लिए गंभीरता से प्रार्थना पत्र लिखने का विचार भी कर रहे हैं ।

मेदक में 48 दलों को और महबूबनगर में 35 समुदायों को, डी.डब्ल्यू.आर.ए. ऋण प्राप्त हो गए हैं, और बस धन के वितरण का इन्तेजार किया जा रहा है ।

मेदक में एस.सी. कार्पोरेशन के साथ सौदा जारी है ताकि 9 संघों को प्रयोग दर्शित आधार पर जमीन पट्टा क्रिया के लिए ऋण दिया जाए ।

पाठशाला भवन :

लक्ष्मीपल्ली गांव, उटकूर मण्डल, महबूबनगर में कोई विद्याभवन नहीं है । पेड़ों के नीचे कक्षाएँ ली जाती हैं । एम.डी.ओ. और एम.इ.ओ. के सामने कई बार संघ ने इस मुद्दे को रखा । अंत में भवन के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ और ठेका संघ नेती असामा, उनकी बहु व बेटे को दिया गया । उन्होंने अपने खुद के संसाधनों का प्रयोग कर इमारत का निर्माण लिनटिल स्थिर (करगहना चौरस) तक किया । उन्होंने फिर पहली किस्त के लिए बिल पेश किया, जिसका आदर नहीं किया गया । इन परिस्थितियों में वह परिवार गुजारे के लिए मौहताज रहा । वे पैसे के लिए बार-बार चक्कर काटते रहे । संघ ने उनकी तरफ से इस मुद्दे को उप-अधिकारियों तक ले जाने का निश्चय किया ।

मेदक के कोन्डारेड्डीपल्ली व पोटुरेड्डीपल्ली गांवों में पाठशाला भवन का निर्माण शुरू हो चुका है । इन गांवों के संघों की पूरी प्रशंसा की जा सकती है क्योंकि इस विषय को लेकर, अधिकारियों के पीछे पड़ के, उन्होंने एक ठप योजना की पुनः शुरुआत की ।

खेतीबाड़ी संबंधी भूमि-पट्टा

छः गाँव (देवनूर, लक्ष्मीसागर, अकसनापल्ली, चौटकूर, टाडानपल्ली और मेदक में वटपल्ली) सभी ने बचत धन व संघ के धन भण्डारों को मिलाकर भूमि पट्टे पर ले ली । उन्होंने जवार, रागी और मूंगफल्ली जैसे सूखे भूसिंचन अनाज की उपज करने का निश्चय किया । इनमें से दो भागों को मुस्लाधार बारिश होने के कारण नुकसान सहना पड़ा । आगामी साल में अन्य संघों ने भूमि-पट्टे पर लेने का विचार किया, और इसको लेकर ग्रामीण स्तर पर सौदे भी शुरु हो गए हैं ।

संघ कुटि :

कई दलों में, संघ कुटि निर्माण के लिए भूमि का मुद्दा एक केन्द्र बिन्दु रह चुका है । खास कर मेदक में, 40 संघ, भूमि के सौदे में लगे हुए हैं । 7 संघों ने तो वास्तव में मेदक के एम.आर.ओ. से भूमि का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया है । महबूबनगर में 4 संघों को एम.आर.ओ. ने जमीन नियुक्त कर दी है । एक शिल्पकार ने दोनों जिलों का निरीक्षण किया और महिलाओ के संग निर्माण रूपभेदों के बारे में उत्तर निकाले । कुछ गांवों में तो सरपंच कुटि निर्माण के लिए और धन देने को तैयार हैं । निशान बनाए गए हैं और नीव की खुदाई भी शुरू हो गई है ।

बचत

जबकि दोनों जिलों में कुछ संघों ने पैसे जोड़े, कइयों को यह क्रिया महत्वपूर्ण नहीं लगी । जैसे कि पहले भी जिकर किया गया है, महबूबनगर जिले के चार (4) मण्डलों में माँ लक्ष्मी बचत कार्यक्रम के अंतर्गत धन संचय क्रिया में बढ़ावा देखा गया । इसका एक परिणाम यह भी रहा, कि कार्यकर्ता, ज्यादा महिलाओं के संग पारस्परिक सम्बन्ध कर पाए । महिलाओं की बड़ी संख्या को एकत्रित कर, स्थित संघों के साथ जोड़ने की चुनौती अब हमारे सामने है । इन छोटे संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे तुरन्त ध्यान की जरूरत है ।

गांव की छोटी संस्थाओं के बीच सामाजिक एकता का न होना हमारे लिए एक कठिनाई थी जिसका हमें सामना करना पड़ा ।

वाटरशेड :

1995 के अन्तर्गत, महबूबनगर जिले के उटकूर व मकथल मण्डलों से डी.पी.ए.पी. ने 10 ग्रामों की पहचान, ए.पी. रिमोट सेनसिंग एजेन्सी सर्वे के आधार पर वाटरशेड कार्यक्रम के लिए की । जून 1993 से क्योंकि ए.पी.एम.एस.एस. इस क्षेत्र मे पहले से ही काम कर रही थी, जिला शासन ने डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम में हमें भाग लेन को आमंत्रित किया ।

लोगों के मेल व सक्रिय भाग से और ग्राम वाटर सभा को सीधे धन की उपलब्धी, डी.पी.ए.पी. के संशोधित मार्ग प्रदर्शक के मूल तत्व थे ।

कुछ डी.पी.ए.पी. द्वारा चुने गांव में, महिलाओं के संचालन व प्रबंध के कारण सबल संघम बने । ऐसा एहसास हुआ कि डी.पी.ए.पी. इन संघों का बड़े पैमाने पर सक्रिय पारस्परिक संबंध बनाने का अवसर देगा । उनके नए मिले स्पष्ट उच्चारण व बढ़ते सर्वमान से, वह सम्प्रदाय की कठिनाइयों व प्राथमिकता को प्रभावित कर पाएंगे, और शायद महिलाएं इस सभा को और सिद्ध उन्नति की ओर अग्रसर कर पाए ।

पहचान और राजनैतिक भाग

स्पष्टीकरण

धीरे-धीरे इन संघों की कार्य प्रणालियों में बदलाव आया। प्रारम्भ में, प्रतिदिन के जीवन में इन संस्थाओं और घरेलू रुचि के बारे में बताया गया। शासन अधिकारी और गांव के अन्दर तथा बाहर की रूपरेखाओं के साथ पारस्परिक संबंध विश्वास पूर्वक बनाने में, महिलाओं को आसानी महसूस हुई। हालांकि शुरु-शुरु में कुछ गांवों में महिलाओं ने जातिवाद जैसे नाजुक मुद्दे पर विचार व्यक्त किए, यह केवल गत वर्ष ही हुआ है कि अनेक संघो ने बहुत ही विश्वसनीय जागरूकता के साथ खुलेआम स्त्री, पुरुषों के इस मुद्दे का समाधान किया।

जोगिन संस्कारों की रोकथाम

महबूबनगर में स्वास्थ्य शिक्षण प्रणाली के दरमियान जोगिन संस्कार के मुद्दे पर, पड्डाजगराम गांव में एक 18 वर्षीय लड़की को गांव के संघ के सदस्यों के सामने लाया गया। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें व असफलता के बारे में बताया। लेकिन वे इस परिणाम में असफल रहे। मौखिक रूप से उन्हें अनेक अपशब्दों का सामना करना पड़ा और दूसरे ग्रामीण वासियों ने भी काफी विरोध किया। यह याद रखना जरूरी है कि उस संघ की अनेक सदस्याएँ स्वयं भी जोगिन हैं, तथा यह इस मुद्दे पर बोलने का दूसरा कदम था। तुरन्त किस गति क्रम को अपनाया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी के सदस्यों ने वहां के जिला परिषद को लिखने व पुलिस से मिलने का सुझाव दिया और यदि महिलाएँ इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हों, तो पूरे सहयोग का भी आश्वासन दिया। परिणाम स्वरूप उसी दिन अधिकारियों को पत्र लिखे गये और ग्राम सभा भी बुलाई गई। लड़की के इस मामले को रोका गया। ये फिर एक बार संघ की शक्ति का अहसास दिलाता है, खास कर उन ऐसे उपरोक्त नाजुक मुद्दों को लेकर और उनका ऐसे मुद्दे का कई दलों के विरोध को सहने की स्वीकृति।

इस घटना के पश्चात सरपंचों और एम.आर.ओ.एस. की सहायता से 'ढिंढोरा रीति' का प्रयोग पुनः विद्या को फैलाने के लिए किया गया। खासकर उन कानूनों के बारे में जो नवयुवतियों के जोगिन बनने पर रोकथाम लगाती हैं। इन विचार विमर्शों के अन्तर्गत बाल विवाह के मुद्दे को भी उठाया गया। हमने बाल विवाह पर विज्ञापन निकाला जिसका कई गांवों में असर पूर्वक प्रयोग किया गया। अब कुछ संघों में महिलाओं का अपनी बेटियों के विवाह को विलम्बित करना, एक आशावादी प्रवृत्ति दर्शाता है।

मिलावट युक्त ठर्रा

29 सितम्बर 1996 को 17 संघ महिलाओं और महबूब नगर के डी.आई.यू. दल की मुलाकात आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल से हुई। राज्यपाल ने महबूबनगर मे आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी द्वारा किये गए कार्यों के बारे में सुना था और संघ की महिलाओं से मिलने के लिए उत्सुक थे। वे ठर्रा प्रतिबंध के मुद्दे पर महिलाओं विचार जानना चाहते थे। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के दौरान, मादकता के विषय पर संघ महिलाओं में काफी विचार विमर्श होते थे। राज्यपाल से मिलने के बाद कुछ संघों ने जागरूकता से मिलावट युक्त ठर्रे की बिक्री और चोरी से ठर्रे के आयात निर्यात को रोकने का कार्य किया। उदाहरणतह दसारादोधी, मकथल मण्डल में संघ महिलाओं ने ठर्रे की गाड़ी को गांव में प्रवेश करने से रोका।

कारने गांव में मिलावटी ठर्रे की बिक्री पर रोकथाम, संघ महिलाओं ने ग्रामीण पुरुषों के सहयोग से की। एक बार जब ठर्रे वालों ने मिलावटी ताड़ी बेचने की कोशिश की तो किसी ने नहीं खरीदी। उन्होंने ये मांग की कि ताड़ी वाले शुद्ध ताड़ी कम दामों पर बेचे। कई और ग्रामों में संघ, मिलावटी ठर्रे की बिक्री पर रोक लगा रहे है। पारेवाल, सामिस्टनपुर, पगिडिमामिडी और चिटयाला के संघों ने भी, ठर्रे की बिक्री उपयोग व चोरी छुपे ताड़ी के आयात निर्यात की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाई।

जाकलेर में संघ महिलाओं ने ताड़ी न पीने का संकल्प किया। प्रथा अनुसार, जब उन्हें ताड़ी वेतन के रूप में दी गई, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पैसे न मिलने पर बोतल तोड़ने की धमकी भी दी। विजय उस दिन उनकी ही हुई।

ग्राम व्यवसायों में संघों की भूमिका काफी विख्यात हो गई है।

मेदक प्रान्त के रिगीड मण्डल में समुदाय व पुलिस के बीच संबंध अच्छे करने के लिए और अपराध को सरोकार करने में, जनसंख्या हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग ने जन परिषद बिठाए।

गांव के बुजुर्गों, पंचायत सदस्यों, नवयुवक महिलाओं और पुलिस से ग्राम दर्जे का परिषद बनाया गया। रिगोड़ मण्डल के संघों को इन परिषदों के सदस्य बनाने का निमंत्रण भेजा गया।

टी. लिंगमपल्ली गांव के रिगोड़ मण्डल की एक राजनैतिक सक्रिय संघ नारी पर आक्रमण किया गया। घायल नारी को संघ, पुलिस चौकी ले गई और शिकायत भी दर्ज की गई। उन्होंने गुनहगार से जन-सम्मुख माफी कहलवाई जिसके पश्चात उसे छोड़ दिया गया। इस हादसे के कारण तकरीबन 23 महिलाओं ने संग से नाता जोड़ लिया। इसके बाद संघों ने रक्षा के लिए निवेदन किया। तुरन्त एस.आई. ने संघ को जन-परिषद बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का सुझाव दिया। सब से पहला विवाद विषय एक संघ सदस्य का आया, जो अपने पति से अलग हो चुकी थी। परिषद ने उसकी तरफ से विनती की और दम्पत्ति को फिर एक बार मिला दिया।

महबूबनगर के उटकूर मण्डल में कार्यकर्ताओं व संघ नारियों को मण्डल सामान्य समुदाय सम्मेलन में प्रायः आमंत्रित किया जाता है। वहां उन्हें अपने कार्यावली व अनिर्णित मुद्दों के बारे में बोलने का मौका दिया जाता है।

मेदक जिले के बांसवापुर गांव की एक जमीन का मुद्रा संघ के ध्यान में लाया गया। एक वादेरा परिवार (पत्थर काटने वाले) ने बहुत पहले अपनी जमीन पट्टे पर एक उच्च श्रेणी के आदमी को दस रुपये में दी थी। अनेक प्रयत्नों के उपरान्त भी वह अपनी जमीन वापिस लेने में असफल रहा। उन्होंने फिर संघ की सहायता की मांग की। संघ ने प्रिय-दर्शाता के साथ इस मुद्दे का समाधान करनना चाहा, किन्तु उस उच्च श्रेणी के व्यक्ति ने मना कर दिया। अतः जब वह गांव से बाहर गया हुआ था तब संघ ने उसका पूरा आनाज, कृषिफल वादेरा परिवार को दे दिया। दूसरे दिन सरपंच ने इस मुद्दे पर पंचायत सम्मेलन रखा। संघ ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया और वादेरा परिवार को जमीन लौटाने के विषय पर तर्क किया।

इसके पश्चात वादेरा महिलाएँ भी संघ सम्मेलनों में भाग लेने लगीं।

नारी हिंसा के विरुद्ध समागन

24 फरवरी 1996 में मेदक जिले के पुलकाल मण्डल के 26 संघों से 1000 महिलाएँ नारी हिंसा के विरुद्ध समागन निकालने के लिए एकत्रित हुई। पुलकाल मण्डल (जुलूस) के प्रधानावास पर मिल, इस समागन के लिए महिलाओ ने 25 किलोमीटर पद यात्रा की। स्थानीय सरपंच एम.पी.टी.सी. के सभापति, एस.आई. और अन्य संस्थाओं की नारियों ने भी भाग लिया। आम जनता इस बात से आश्चर्यचकित थी कि इतनी सारी महिलाओं ने स्वएच्छिक होकर, ऐसे मुद्दे पर अपने कदम बाढ़ाए।

पुलकाल मण्डल के संघों में लगातार विचार विमर्श के अंत इस समागन के निर्माण से हुआ। पिछले एक डेढ़ साल में इस मण्डल की नौ नवयुवतियों का बलात्कार कर, कत्ल किया गया था।

पहले इस क्षेत्र के नौजवानों को ऐसा महसूस हुआ कि ए.वी.एम.एस.एस. क्योकि एक नारी कार्यक्रम था, ऐसे मुद्दों पर उनका लड़ना ही उनका उत्तरदायित्व था। हमें एक बहुत ही कठिन निश्चय लेना पड़ा। ये नवयुवतियां मण्डल से थीं, इसीलिए हमें लगा कि हमें संघ में अंतःकरण से आगे बढ़ने की जागृति बढ़ानी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर कार्य करने का उत्तरदायित्व भी उठाना चाहिए।

चिंगारी मदि मानिक्यम गांव से शुरू हुई। एक नवयुवती जो कभी-कभी संघ सम्मेलनों में भाग लेती थी, उसका बलात्कार करके उसे मार डाला गया। जोशुआ कानथम्मा के नेतृत्व में संघ ने कार्यकर्ताओं व डी.आई.यू. के सहयोग से इस हादसे को दर्ज करने का निर्णय किया। उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि पुलिस आने तक, कत्ल की जगह पर से कुछ हिलाया न गया।

पुलिस चौकी पर धरना बिठाने की संघ द्वारा, धमकियों के बाद, गुनहगारों को पकड़ा गया और दंड दिया गया।

ये समाचार दूसरे अन्य संघो में फैल गया और पिछले हादसों को लेकर काफी विचार विमर्श हुए। दिसम्बर 1995 में मेदक जिले के संगारेड्डी में स्थापित परिषद मेले में 800 से ऊपर महिलाएँ 4 मण्डलों से आई थीं, जहां पर इन मुद्दों को पुनः उठाया गया। कई विचारों का आदान-प्रदान हुआ। ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता, समुदाय का ध्यान इन मुद्दों पर, इसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व, कानून के बारे में जानकारी, और संघों का तुरन्त क्रम करना आदि विषयों पर काफी विचार विमर्श हुए। इन सब में से समागन का उपाय निकला। इस गति को बनाए रखने के लिए और नारी की जागृति को सबल करने के लिए हमने 'कानून जानकारी कारखाने' को प्रारम्भ करने की योजना बनाई।

पंचायतीराज वर्कशाप

1995 के प्रारम्भ में हमने पंचायतराज में महिलाओं की भूमिका पर एक सचित्र पुस्तक तैयार की थी। यह उत्पादन संचार के लिए बहुत ही प्रभाविक सिद्ध हुआ। सभी गांवों में विचार विमर्श हुए और कई महिलाओ ने महिलाओं व सहयोगी उम्मीदवारों को खड़ा किया।

महबूबनगर में 33 महिलाएँ वार्ड सदस्य चुनी गई और 6 को सरपंच की पदवी दी गई। संघों ने 3 पुरुषों की उम्मीदवारी को भी सहयोग दिया, जो सरपंच नियुक्त किए गए।

मेदक में संघों ने 30 उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिनमे से 9 पराजित हुए और 21 वार्ड सदस्य के लिए चुने गए। पुरुष जिन्हें संघों ने समर्थन दिया था, वार्ड सदस्य, चुने गए। 3 महिलाएँ सरपंच चुनी गई और 3 पुरुष, जिन्हें संघों का समर्थन प्राप्त था, सरपंच चुने गये।

हमने चुने सदस्यों के लिए उनकी भूमिका और भाग स्वभाव पर कुछ वर्कशाप लगाए। इन सब को पंचायत सम्मेलन मुद्दे, उत्तरदायित्व और देश के सम्माननीय, आर्थिक, राजनैतिक स्थितियों को नाटक द्वारा प्रस्तुत किए गए। सभी मनोनीत सदस्य, इस के लिए उपस्थित नहीं रहते क्योंकि उन्हें औपचारिक ढंग से जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। फिलहाल जब तक एक दृढ़ माँग उत्पन्न नहीं की जाती, इन वर्कशापों को रोक दिया गया है।

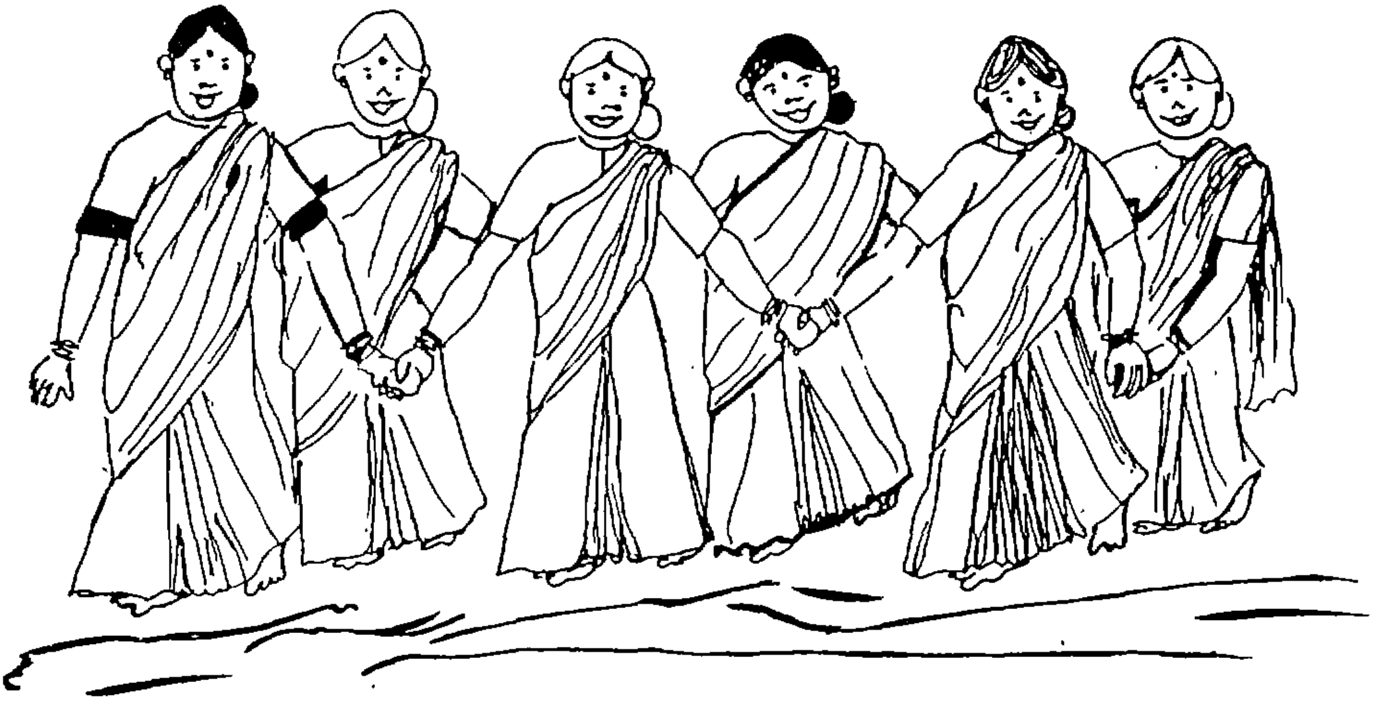

कड़ियाँ

बढ़ती कड़ियाँ

इस साल के अन्तर्गत दोनों संघों ने अपने कार्यक्रमों के दायरे की क्रियाओं और पारस्परिक मेल-जोल को बढ़ाया है। संघों की कड़ियाँ व कार्यजाल दो जिलों, अन्य संस्थाओं, सरकारी विभागों व कार्यक्रमों और जन फोरा में भाग लेने के क्रम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं।

संघ शक्तिशाली हैं और वे खुलकर भाग लेते हुए अपनी चिंताओं और रुचियों के बारे में बड़े-बड़े दायरों में प्रचार करना चाहते हैं। संघों को चालू रखने की पद्धति में यह एक मूल तत्व है।

पिछले कुछ सालों से प्राप्त अनुभवों व विश्वासों के बल पर हम अब एम.एस. पद्धतियों और समर विधाओं का अन्य दर्जों पर, संस्था के अतिरिक्त प्रचार करना शुरू कर रहे हैं।

परिषद मेला

परिषद मेलों की स्थापना हमारी समर विधाओं का अंश था। जहाँ पर हम अपने दूरदर्शी सपनों की ओर व संघों के बीच घनिष्ठता बढ़ाने की चाह, एवं महिलाओं के लिए मण्डल व परिषद स्तर पर बड़े फोरम के उपाय पर वाद-विवाद कर सकते थे। शिक्षा मंत्री व ए.पी.एम.एस.एस. अध्यक्ष श्री एम. वी. पी. सी. शास्त्री का मेले में आना एक विशेष बात थी। सभी संघ अपने-अपने कार्यों को उनके सामने प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक थे। जिन मण्डलों में हम काम कर रहे थे, वहां के कई अधिकारियों ने भी इस मेले में भाग लिया। दोनों जिलों के मेलों में महिलाएँ, संघों में अपने अनुभवों को बांटने के लिए उत्सुक थीं। एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए माइक्रोफोन में बात करना उनके लिए एक नया अनुभव था। बातचीत करने के अलावा महिलाओं को नाचने गाने में भी रुचि थी। मेले से एक विशेष परिणाम ये था कि सभी मण्डलों के संघों के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई।

पहले दो सालों में हमने संघ महिलाओं और परिषद अधिकारियों (जैसे - परिषद जिलाधीश) के बीच कोई औपचारिक गोष्ठी नहीं रखी थी। किन्तु सितम्बर 95 में 23 संघों से महिलाएं महबूबनगर जिले के परिषद जिलाधीश से मिलने गई।

इस दिशा में एक और कदम महबूबनगर के उटकूर मण्डल में उठाया गया। यहां के कार्यकर्ता एवं संघ महिलाएँ मण्डल दर्जे पर आयोजित सामान्य सम्मेलन में भाग ले रही हैं। उन्हे संघो की प्रवृत्ति के बारे में बात करने के लिए मण्डल अधिकारी आमंत्रित कर रहे हैं। इन मौकों पर अनिर्णित मुद्दों को उठाया जाता है जैसे कि प्रार्थना पत्र, ऋण इत्यादि।

दोनों जोलों में संघ महिलाएँ सक्रियता के साथ 'प्रजला वद्दकु पालना' में भाग ले रही हैं, और उनके सभी मुद्दों को आगे रख रही है। पंचायत का संघों को पहचानना और भरोसा करना इस बात से पता चलता है, जब उन्होंने श्रमदान कार्यों में संघों की सहायता ली। कई संघों ने गर्वपूर्वक सूचना दी कि इस प्रान्त कार्यक्रमों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई।

अक्टूबर 1995 में महबूबनगर में महबूबनगर के परिषद राज्य शासन ने कलाजाथा कार्यक्रम का आयोजन किया। उन मण्डलों में जहां ए.पी.एम.एस.एस. काम कर रही है, वहां कार्यकर्ताओं और संघ महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। कार्यकर्ताओं का एक खास संदेश यह था कि प्रतिदिन एक रुपये की बचत की जानी चाहिए। हमारे तीन नये कार्यकर्ताओं को 'कालाजाता दल' के अंश का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

मेदक और महबूबनगर के 'पल्स पोलियो कार्यक्रम' में भी हम ने सक्रिय भाग लिया ।

मेदक के पुलकाल व अल्लादुर्ग मण्डलों में ए.पी.एम.एस.एस. ने पल्स पोलियो कार्यक्रम का उत्तरदायित्व लिया है । मेदक के चारों मण्डलों में संघ महिलाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई ।

परिषद व प्रान्तीय दर्जों पर ए.पी.एम.एस.एस. सदस्यों को कई संस्थाओं ने अपने अनुभवानुसार महिलाओ का संगठन बनाने के लिए आमंत्रित किया है ।

कार्यकर्ता और महबूबनगर के संसाधन व्यक्ति, एन.जी.ओ. के लिए आयोजित यू.एन.डी.पी. प्रशिक्षण योजना में मुख्य व्यक्ति थे । महबूबनगर के परिषद राज्य शासन द्वारा स्थापित महिला सादस्सु में जहां प्रान्त महिला नीति पर विचार विमर्श किए गए । यहाँ ए.पी.एम.एस.एस. ने मुख्य भूमिका निभाते हुए कुछ समुदाय वाद-विवादों का नेतृत्व किया ।

प्रान्तीय पद पर भी ए.पी.एम.एस.एस. ने अपने पारस्परिक संबंध डी.पी.ई.पी. परिवार कल्याण विभाग, और ऐसी कई संस्थाओं के साथ अपने अनुभव व समर विद्याओं को बांट कर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नए मार्ग ढूँढे ।

अब यहाँ से कहाँ जाए ?

जबकि हमने कई क्षेत्रों में उन्नति की है, व्यक्तिगत पद पर पहुँचने के लिए काफी संकटों का सामना करना पड़ा है। कार्यक्रमिक दर्जों पर भी काफी कठिनाइयाँ उभर आई है।

एक खास फिक्र संघ महिलाओं की क्षमताओं को उभारने की रही है। नेतृत्व कला और बढ़ाने व निर्णय लेने की क्षमता को सबल करने के प्रयत्न में हमने संघ नेताओं का प्रशिक्षण निम्न दर्जे पर ही प्रारम्भ कर दिया है। ऐसे प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है ? इसके बारे में क्या बातें की जा सकती हैं ?

इन प्रशिक्षणों में विकसित संघ सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डालना, समुदाय क्रिया, संघ नेताओं का उत्तरदायित्व कार्यकर्ताओं व डी.आई.यू. की जिम्मेदारी, इन सभी पर प्रमुखता डालने की थी। इस प्रशिक्षण की योजना हर एक स्तर के लिए थी। कार्यक्रम का दृष्टिगोचर, हमारे अनुभव व संकटों का समाधान, ऐसे मुद्दों पर यहां विचार विमर्श किए जाते थे।

हर जिले में हमने कुछ ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यों का प्रबंध किया। एक आशावादी नतीजा ये था कि संघ के नेताओं ने इस मुद्दे को सुलझाने में, एकता क्रिया की भूमिका के महत्व को समझा। संघ क्या है ? हमारे लक्ष्य क्या है ? हमारा भविष्य क्या है ? ऐसे प्रश्न भी उठाए गए। नाजुक सामाजिक मुद्दे, जैसे कि जोगिन बनने पर पाबंदी, बाल विवाह और नारियों के प्रति हिंसा, ऐसे विषयों पर सम्बोधित करने पर हमने जोर डाला। जबकि विचार स्पष्ट थे और दल को इसके महत्व का अहसास हुआ, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। दिसम्बर जनवरी 1996 में 6, 8 सप्ताहों के लिए, प्रशिक्षण कार्य व वर्कशाप रोक दिए गए और हमारा पूरा ध्यान संघ के प्रयत्नों का प्रभाव जाँचने में लग गया। हमें एहसास हुआ कि यदि हमें गांव की प्रक्रिया पर नज़र रखना है तो ऐसा करना अनिवार्य है।

हमने कई नीतियों पर निरंतर सोच-विचार किए ताकि संघ को उन्नति कि ओर अग्रसर किया जा सके। हमें यह एहसास था कि कार्य के इस मोड़ पर संघ व समुदाय को नई चुनौतियों के सामने अपनी हिम्मत बनाए रखने की आवश्यकता थी।

1996-97 की योजना खास कर पाँच मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है - शिक्षा/ साक्षरता; स्वास्थ्य; संसाधन; सम्पत्ति जोड़ना और संपादन करना; कानून जागृति और प्रभावशाली राजनैतिक क्षेत्र में भाग लेना।

मात्रिक जानकारी

आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

डी आइ यू - मेदक 1993-96

कार्यकलाप	पुलकाल	अंडोल	अल्लादुर्ग	रिगोड़	टेकमल	शंकरमपेट	पोसन्नापेट	कुल
कार्यक्रम अवधि	3 वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष	4 मी.	4 मी.	4 मी.	
नये मण्डल					15 फरवरी,1996 से लिया गया			
गांव व पुरवा की संख्या	28	23	गां + पु. 19 + 1	गां + पु. 26 + 1	13	12	12	गां + पु. 133 + 2
संघ स्तर (नारी सदस्यों की संख्या 25-40 तक)								
पहली अवस्था	6	7	5	10	13	12	12	65
दूसरी अवस्था	7	3	3	8 + 1				21 + 1
तीसरी अवस्था (सबल संघ)	15	13	11 + 1	8				47 + 1
महिला कार्यकर्ता	2	3	2	2	2	1	0	13
साक्षर गांव	के. + सं. 8 + 85	के. + सं. 5 + 48	के. + सं. 4 + 33	के. + सं. 9 + 116				के. + सं. 26 + 282
बाल मित्र केन्द्र	के. + सं. 6 + 90	के. + सं. 5 + 79	के. + सं. 6 + 113	के. + सं. 8 + 144				के. + सं. 25 + 426
पाठशाला में भर्ती बच्चे (जून 1996)	g + b 32 + 41	g + b 87 + 87	g + b 6 + 2	g + b 197 + 145				g + b 322 + 275
छात्रावास में बच्चे (जून 1996)	g + b 9 + 17		g + b 3 + 5	g + b 1 + 2				g + b 13 + 24
आंगनवाड़ी के बच्चे	g + b 47 + 37	g + b 25 + 15	g + b 14 + 2	g + b 90 + 53				g + b 176 + 107
इम्यूनाइज्ड बच्चे	320	101	80	140				641
इम्यूनाइज्ड गांव	2	2	1					5
स्वास्थ्य परीक्षण में भाग लेने वाले गांव (2 दल,95-96)	7	6	7	6				26
हैण्डपम्प परीक्षण में भाग लेने वाले गांव	1	2	3	1				7
सुरक्षा परीक्षण में भाग लेने वाले गांव	7	-	4	1				12

वे गांव जहां हैण्डपम्प के चारों ओर चबूतरे बनाए गए	3	1		1	5
ग्राम जिन्हें शौचालय के लिए अनुमोदन मिला	14	6	5	5	30
संख्या	377	166	141	154	838
गांव जहां राशन कार्ड दिए गए	16	50	40	69	175
गांव जिन्हें घरों का अनुमोदन मिला	61	67	61	27	216
गांव जिन्हें भूमि पर बोर बनाने का अनुमोदन मिला	एक गांव में 2 बोर अनुमोदित				
हैण्ड पम्प अनुमोदन गांव	9 एच.पी. 1 नाला	6 एच.पी.	1 एच.पी.	1 एच.पी. 2 नाला	एच.पी.17 नाला 3
जिन गांवों को भूमि पट्टा खेतीबाड़ी के लिए दिया गया	6	2	1	3	12
गांव जो भूमि पट्टे के लिए तैयार है	4	2	2	1	9
बचत	37,280	3,100	21,500	59,200	
डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. ऋण अनुमोदन गांव	v + g 16 + 21	v + g 8 + 10	v + g 5 + 5	v + g 9 + 12	v + g 38 + 48
दायी प्रशिक्षण	4	2	3		9
संघ फण्ड अनुमोदन	0	0	0	0	0
गांव	16	15	12	17	50
संघ कुटि (निर्माण)	3	2	2	0	7
जारी है (नये)	12	9	7	10	38
पंचायतराज प्रशिक्षण	– – – 1 – – –		– – – 1 – – –		
पंचायत में चुनी नारियां					
1. चुनी गई महिलाएँ वार्ड सदस्य	9	9	5	13	36
2. चुने सरपंच	2	1	1	2	6
3. चुने उपसरपंच	-	-	-	-	-
गांव जहां नन्हें पौधे बांटे गए	5	7	8	14	34
एम.एस.के. में बालिकाएँ					34
मातृत्व लाभ योजना	43				43

मात्रिक जानकारी

आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

डी आइ यू - महबूबनगर 1993-96

कार्यकलाप	मकथल	उटकूर	नरवा	मागनूर	कुल
कार्यक्रम अवधि	3 वर्ष	3 वर्ष	1 वर्ष	1 वर्ष	
ग्रामों की संख्या	40	26	31	20	117
संघ स्तर : (नारी सदस्यों की संख्या 25-40 तक)					
पहली अवस्था	7	6	16	12	41
दूसरी अवस्था	10	7	9	1	27
तीसरी अवस्था	23	13	6	7	49
कार्यकर्ताओं की संख्या	4	3	3	2	12
बाल मित्र केन्द्रों की संख्या	25	18	6	6	55
बी.एम.के. में बच्चों की संख्या	g + b 569 + 255	g + b 411 + 168	g + b 48 + 27		g + b 1028 + 450
पाठशाला में भरती बच्चों की संख्या (1996)	g + b 215 + 180	g + b 100 + 76	g + b 67 + 101	g + b 29 + 19	g + b 411 + 384
छात्रावास में भरती बच्चों की संख्या (1996)	g + b 13 + 17	g + b 1 + 9	g + b - + 6		g + b 14 + 32
छात्रावास में भरती विकलांग बच्चों की संख्या	2 + 6 = 8	—	—	4	12
एम.एस.के. में बालिकाओं की संख्या					30
साक्षरता केन्द्र	18	12	4	4	38
केन्द्रों में महिलाओं की संख्या	180	120	40	45	385
माँ-बाप व शिक्षक समुदाय	18	15	4	3	40
स्वास्थ्य प्रशिक्षण में भाग लेने वाले गांव	28	14	4	6	52
पल्स पोलियो में इम्यूनाइज्ड बच्चे	3000	2500	1372	1200	8072
इम्यूनाइज़ेशन	433	300			743

संघ फण्ड	पु. नया	पु. नया			
(नया + पुराना)	20 12	14 8	8	8	70
संघ कुटि (जारी है)	24	18	8	8	58
निर्माण कार्य	4				4
बचत करने वाले गांव (1993 से लेकर)	14	9	-	-	23
बचाया गया कुल राशि	रु.44,270	रु.20,710	—	—	रु.64,980
माँ लक्ष्मी दल (1995-96)	22	2	59	18	101
बचाया गया कुल राशि	रु.56,500	रु.5,400	रु.2,12,400	रु.64,800	रु.3,38,900
डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. दल (अनुमोद्रित)	14	14	—	7	35
पी. डी. एस. डीलरशिप लिए गए	4	2	3	2	11
बांटे गए नन्हें पौधों की संख्या	27000	18600	8000	10000	63,600
उद्यान - विद्या (अप्रैल 1996)	4	3	3	2	12
वाटरशेड गांव (1995-96)	4	3			6
अनुमोदित/ निर्माणित घर (1994 से)	138	200			338
अनुमोदित हैण्ड पम्प (1994 से)	7	6			13
दिए गए राशन काड्र्स (अप्रैल 1996)	241	183			424
विधवा पेन्शन	40	42			82

बालाजी नायडू एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

6-1-85/4, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004

दिनांक :

आडिटर की रिपोर्ट

1. हमने संलग्न तुलन-पत्र, जो आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी का है, 31 मार्च 1996 को एवं उसी दिनांक को समाप्त हुए वर्ष को उपलब्ध, आय एवं व्यय एकाउण्ट्स की जांच की, एवं रिपोर्ट देते हैं कि :

2. (क) हमने अपनी जानकारी एवं सोच के मुताबिक आडिट कार्य के लिए आवश्यक प्रत्येक जानकारी एवं सफाई प्राप्त की है ।

(ख) अब तक किए गए अकाउण्ट्स बुकों की जांच से पता चलता है कि सोसाइटी द्वारा **अकाउण्ट्स** की उचित पुस्तकें भली प्रकार से रखी गई है ।

(ग) इस रिपोर्ट में रेफर किए गए तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय **अकाउण्ट**, खाते की पुस्तकों से पूरी तरह मेल खाते हैं ।

(घ) हमारी राय, हमारी जानकारी एवं हमें दी गई सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंधित **अकाउण्ट** सोसाइटी के कार्यकलापों की साफी तसवीर पेश करते हैं ।

(i) तुलन पुत्र के मामले में सोसाइटी के 31 मार्च 1996 तक के कार्यकलापों और
(ii) आय एवं व्यय **अकाउण्ट** के मामले में इस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष में आय से अधिक व्यय ।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 10-06-96

बालाजी नायडू एण्ड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

डी. कोटेश्वर राव
भागीदार

बालाजी नायडू एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

6-1-85/4, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004

दिनांक :

अकाउण्ट्स पर टिप्पणियाँ

1. यह अकाउन्ट 12 मास की अवधि के लिए है अर्थात 01-04-1995 से 31-03-1996 तक ।
2. सोसाइटी अपने अकाउण्ट्स मर्केन्टाइल आधार पर बनाती है ।
3. शेड्यूल बैंक के निश्चित जमा राशि पर मिला ब्याज रु. 9,132/- को निश्चित जमा राशि के मूल्य में लिया गया ।
4. फिक्स्ड एसेट्स पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में उपलब्ध दरों के आधार पर ही डेप्रीशिएशन लगाया गया है ।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 10-06-96

बालाजी नायडू एण्ड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

डी. कोटेश्वर राव
भागीदार

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

प्लाट नं. 8, अपराजित कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 016

31-03-1996 तक तुलन - पत्र

	देयताएँ		राशि (रु. पै.)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (रु. पै.)
	पूँजी भण्डार	27,46,972.90		निश्चित परिसम्पत्तियाँ - संलग्न - I	9,48,911.00
(+)	साल के अंतर्गत भारतीय	56,00,000.00		जमा राशी - संलग्न - II	30,33,234.00
	सरकार से प्राप्त भण्डार	83,46,972.90		जमा राशि और उधार - संलग्न - III	23,000.00
(–)	वर्ष के दौरान आय से			उधार - एम. वी. फाउण्डेशन	820.32
	अतिरिक्त खर्च	39,75,931.68	43,71,041.22	रोकड़ा और शेष बैंक बकाया - संलग्न - IV	3,70,075.90
	लेखा जांच शुल्क देय		5,000.00		
		कुल :	43,76,041.22	कुल :	43,76,041.22

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 10-06-1996

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी के लिए

(हस्ता.)	(हस्ता.)
पी. श्याम राव	**कामेश्वरी जंध्याला**
लेखा अधिकारी	राज्य कार्यक्रम निर्देशक

संलग्नित संलग्न तथा
संबंधित लेखा का अंश है ।
बालाजी नायुडू एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट के लिए
डी. कोटेश्वर राव

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

प्लाट नं. 8, अपराजित कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 016

वर्ष 1995-96 का आय एवं व्यय का लेखा

व्यय/खर्च	राशि (रु. पै.)	राशि (रु. पै.)	आय	राशि (रु. पै.)
प्रबन्ध खर्चा :				
- राज्य कार्यालय - संलग्न - V	7,75,940.65		बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज	7,120.00
- डी.ऐ.यू. - मेदक - संलग्न - VI	2,85,299.75			
			बैंक के साथ निश्चित जामा राशि पर ब्याज	2,98,001.00
- डी.ऐ.यू. महबूबनगर- संलग्नक - VII	3,02,640.20	13,63,880.60	आय से अधिक व्यय	39,75,931.68
कार्यवाही खर्चा :				
- राज्य कार्यालय - संलग्न - VIII	11,49,849.43			
- डी.ऐ.यू. मेदक - संलग्न - IX	7,32,514.80			
- डी.ऐ.यू. - महबूबनगर - संलग्न - X	8,27,988.85	27,10,353.08		
अवमूल्यन - संलग्न - I		2,06,819.00		
		42,81,052.68		42,81,052.68

31-03-1996 तक निश्चित परिसम्पत्तियाँ

संलग्न - I

क्रम. सं.	विवरण	प्रारम्भिक बकाया 1-4-95 तक	30-9-95 के पहले संकलन	30-9-95 के बाद संगल्न	कुल	अवमूल्यन की दर	अवमूल्यन	31-3-96 को अंतिम बकाया
1.	**वाहन**							
	राज्य कार्यालय	1,57,786.00	—	—	1,57,786.00	20%	31,557.00	1,26,229.00
	डी.ऐ.यू. - मेदक	2,02,462.00	—	—	2,02,462.00	20%	40,492.00	1,61,970.00
	डी.ऐ.यू. - महबूबनगर	2,02,462.00	—	—	2,02,462.00	20%	40,492.00	1,61,970.00
2.	**कार्यालय उपकरण**							
	राज्य कार्यालय	7,520.00	—	1,955.00	9,475.00	10%	850.00	8,625.00
	डी.ऐ.यू. मेदक	10,877.00	—	—	10,877.00	10%	1,088.00	9,789.00
	डी.ऐ.यू. महबूबनगर	10,877.00	—	—	10,877.00	10%	1,088.00	9,789.00
3.	**फर्नीचर एवं फिक्चर्स**							
	राज्य कार्यालय	49,208.00	11,461.00	—	60,669.00	10%	6,067.00	54,602.00
	डी.ऐ.यू. - मेदक	22,632.00	—	7,119.00	29,751.00	10%	2,619.00	27,132.00
	डी.ऐ.यू. - महबूबनगर	28,321.00	3,400.00	—	31,721.00	10%	3,172.00	28,549.00
4.	**दृश्य श्रव्य उपकरण**							
	राज्य कार्यालय	23,805.00	—	---	23,805.00	10%	2,381.00	21,424.00
	डी.ऐ.यू. - मेदक	30,266.00	—	—	30,266.00	10%	3,027.00	27,239.00
	डी.ऐ.यू. - महबूबनगर	31,292.00	—	—	31,292.00	10%	3,129.00	28,163.00
5.	**कम्प्यूटर**							
	राज्य कार्यालय	—	98,010.00	—	98,010.00	20%	19,602.00	78,408.00
6.	**ज़िराक्स मशीन**							
	राज्य कार्यालय	–	1,12,903.00	—	1,12,903.00	20%	22,581.00	90,322.00
	डी.ऐ.यू. - मेदक	—	71,687.00	—	71,687.00	20%	14,337.00	57,350.00
	डी.ऐ.यू. - महबूबनगर	—	71,687.00	—	71,687.00	20%	14,337.00	57,350.00
	कुल :	7,77,508.00	3,69,148.00	9,074.00	11,55,730.00		2,06,819.00	9,48,911.00

स्थान : हैदराबाद
दिनांक 10-06-1996

आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी के लिए

पी. श्याम राव
लेखा अधिकारी

कामेश्वरी जंध्याला
राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी : हैदराबाद

31-03-1996 तक जमा राशि

संलग्न - II

क्रम सं.	बैंक और ब्रांच का नाम	एफ.डी.आर. नं.	अवधि (से) (तक)	ब्याज की दर	राशि (रु. पै.)
01.	**राज्य कार्यालय**	0090476	26-3-96 - 11-5-96 (46 दिन)	12%	10,00,000.00
	ए.पी. राज्य को-आपरेटिव बैंक	0090477	- ऊपर जैसा -	12%	10,00,000.00
	अमीरपटे ब्रांच, हैदराबाद	0090484	30-3-96 से 30-6-96 (92 दिन)	12%	2,24,102.00
				कुल - अ	22,24,102.00
02.	**डी. ऐ. यू. - मेदक**	717181	9-3-96 से 24-4-96 (46 दिन)	10%	2,00,000.00
	स्टेट बैंक आफ इण्डिया,	717182	- ऊपर जैसा -	10%	2,00,000.00
	संगारेड्डी ब्रांच	717183	- ऊपर जैसा -	10%	2,00,000.00
		717184	- ऊपर जैसा -	10%	2,00,000.00
				कुल - ब	8,00,000.00

राज्य कार्यालय	(कुल - A)	—	रु. 22,24,102.00
डी. ऐ. यू. - मेदक	(कुल - B)	—	रु. 8,00,000.00
एफ. डी. आर ब्याज		—	रु. 9,132.00
			रु. 30,33,234.00

पी. श्याम राव
लेखा अधिकारी

कामेश्वरी जंध्याला
राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

हैदराबाद

31-03-96 तक जमा राशि और उधार

संलग्न - III

क्रम संख्या	विवरण		राशि (रु. पै.)
01.	**किराया जमा**		
	राज्य कार्यालय		11,400-00
	डी.ऐ.यू. - मेदक		9,000-00
	डी.ऐ.यू. - महबूनगर		2,600-00
		कुल :	23,000-00

31-03-96 तक का रोकड़ा एवं बैंक बैलेंस

संलग्न - IV

क्रम संख्या	विवरण		राशि (रु. पै.)
01.	नकद (हाथ में)		
	- राज्य कार्यालय		487-30
	- डी.ऐ.यू. मेदक		3,902-25
	- डी.ऐ.यू. महबूबनगर		653-00
02.	नकद (बैंक में)		
	- बचत बैंक खाता क्र. 7402	आंध्रा बैंक	2,32,289-75
	- बचत बैंक खाता क्र. 7648	अमीरपेट ब्रांच	20,000-00
	- बचत बैंक खाता क्र. 15806	आंध्रा बैंक, महबूबनगर	83,873-60
	- बचत खाता क्र. (C & i) 040	भारतीय स्टेट बैंक, संगारेड्डी	28,870-00
		कुल :	3,70,075-90

लेखा अधिकारी | राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

हैदराबाद

1995-96 के लिए प्रबन्ध खर्च

संलग्न - V

राज्य कार्यालय :

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु. पै.)
01.	वेतन	1,84,432.40
02.	मानदेन (हानरोरियम)	1,43,645.00
03.	किराया	54,340.00
04.	पेट्रोल	35,598.20
05.	वाहन रखरखाव	39,711.70
06.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	21,976.20
07.	डाक एवं तार	6,115.15
08.	टेलीफोन एवं ट्रंककाल	31,283.45
09.	कार्यालय खर्चा	10,170.70
10.	आकस्मिक खर्चा	50,581.65
11.	स्थानीय खर्चा	16,928.35
12.	बीमा	5,927.00
13.	यात्रा खर्चा	1,62,456.70
14.	बैंक शुल्क	3,888.75
15.	बिजली खर्चा	1,041.00
16.	पानी खर्चा	2,844.40
17.	खाता जांच शुल्क	5,000.00
	कुल :	7,75,940.65

लेखा अधिकारी

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

हैदराबाद

1995-96 के लिए प्रबन्ध खर्च

संलग्न - VI

डी.ऐ.यू. - मेदक

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु. पै.)
01.	मानदेय	1,26,800.00
02.	वेतन	13,455.00
03.	किराया	36,000.00
04.	डीज़ल	18,510.90
05.	वाहन रखरखाव	27,584.30
06.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4,191.60
07.	कार्यालय खर्चा	15,766.05
08.	डाक एवं तार	249.00
09.	टेलीफोन और ट्रंककाल	14,494.55
10.	स्थानीय परिवहन	507.00
11.	यात्रा खर्चा	21,619.25
12.	बिजली खर्चा	1,150.00
13.	आकस्मिक खर्चा	4,972.10
	कुल :	2,85,299.75

लेखा अधिकारी

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

हैदराबाद

प्रबन्ध खर्च

संलग्न - VII

डी.ऐ.यू. - महबूबनगर

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु. पै.)
01.	मानदेय	1,32,205.95
02.	किराया	31,000.00
03.	डीज़ल	29,665.85
04.	वाहन रखरखाव	36,605.00
05.	मुद्रण एवं लेखन सामाग्री	9,472.20
06.	कार्यालय खर्च	14,166.30
07.	डाक एवं तार	336.00
08.	टेलीफोन एवं ट्रंककाल	10,545.85
09.	स्थानीय परिवहन	5,532.50
10.	यात्रा खर्चा	25,500.40
11.	बिजली खर्चा	476.00
12.	आकस्मिक खर्चा	7,134.15
	कुल :	3,02,640.20

लेखा अधिकारी

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

हैदराबाद

वर्ष 1995-96 का कार्यवाही खर्च

संलग्न - VIII

राज्य कार्यालय

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु. पै.)
01.	प्रलेखन	33,045.10
02.	प्रकाशन	3,09,708.00
03.	सामग्री - उत्पादन	9,775.00
04.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	2,060.85
05.	गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ	76,870.65
06.	प्रशिक्षण खर्च	72,683.20
07.	बैठकों का खर्च	4,926.95
08.	एन.एफ.ई. किट्स एवं ब्लाक बोर्ड	42,500.00
09.	एम. वी. फाउण्डेशन खर्च	5,98,279.68
	कुल :	11,49,849.43

लेखा अधिकारी

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

वर्ष 1995-96 के लिए कार्यवाही खर्च :

संलग्नक - IX

डी. ऐ. यू. - मेदक

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु. पै.)
01.	प्रलेखन	15,198.50
02.	समाचार पत्र	1,709.00
03.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	5,486.10
04.	गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ	8,127.50
05.	प्रशिक्षण खर्च	52,680.05
06.	बैठक खर्च	82,061.45
07.	जिला मेला	72,893.75
08.	समूह बैठकों का खर्च	1,111.95
09.	संघ नेता बैठकों का खर्च	1,120.85
10.	संघ फण्ड बैठकों का खर्च	861.00
11.	एन.एफ.ई. बैठकों का खर्च	229.00
12.	संघ फण्ड	2,41,300.75
13.	संघ कुटि	1,05,000.00
14.	वाटरशेड	2,697.25
15.	निर्धारण	2,187.65
16.	मानदेय सहयोगिनियां	1,08,350.00
17.	यात्रा खर्च सहयोगिनियां	31,500.00
	कुल :	7,32,514.80

लेखा अधिकारी

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

वर्ष 1995-96 के लिए कार्यवाही खर्च :

संलग्नक - X

डी. ऐ. यू. - महबूबनगर

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु. पै.)
01.	प्रलेखन	18,583.00
02.	समाचार पत्र	0.00
03.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	2,413.50
04.	गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ	6,667.80
05.	प्रशिक्षण खर्च	91,638.95
06.	बैठकों का खर्च	1,26,096.05
07.	समूह बैठकों का खर्च	6,952.75
08.	संघ फण्ड बैठकों का खर्च	447.00
09.	संघ फण्ड	1,63,200.00
10.	संघ कुटि	60,000.00
11.	एन.एफ.ई. बैठकों का खर्च	17,902.50
12.	मानदेय सहयोगिनियाँ	1,30,000.00
13.	यात्रा खर्च सहयोगिनियाँ	39,000.00
14.	वाटरशेड	482.00
15.	जिला मेला	89,198.15
16.	एम.एस. के खर्च	75,407.15
	कुल :	8,27,988.85

लेखा अधिकारी

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

प्लाट नं. 8, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 016

1-04-95 से 31-03-96 तक फण्ड का प्रयोग

	विवरण	(रु. पै.)	(रु. पै.)
A.	1-4-95 तक का तुलन		16,58,967.40
B.	प्राप्त फण्ड		56,00,000.00
C.	कुल - A + B		72,58,967.40
D.	हुए खर्च		
	i) प्रबंध खर्च	13,63,880.60	
	ii) कार्यवाही खर्च	27,10,353.08	
	iii) खरीदे परिसम्पत्तियाँ	3,78,222.00	
	iv) जमा राशि और उदार	12,420.32	44,64,876.00
E.	जमा राशि और उधार		27,94,091.40
F.	प्राप्त ब्याज		3,05,121.00
G.	प्राप्त उधार		3,04,097.50
	31-03-1996 तक मूल्य तुलन		34,03,309.90

नकद (हाथ में)	5,042.55
नकद (बैंक में)	3,65,033.35
निश्चित राशि	30,33,234.00
31-03-1996 तक की तुलन	34,03,309.90

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

लेखा अधिकारी — राज्य कार्यक्रम निर्देशक

बालाजी नायडू एण्ड कम्पनी के लिए

स्थान - हैदराबाद

दिनांक - 10-06-1996

डी. टोकेश्वर राव
भागीदार

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

प्लाट नं. 8, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 016

1-04-95 से 31-03-96 तक खर्च कथन

	विवरण	राज्य कार्यालय (रु. पै.)	डी.ऐ.यू. मेदक (रु. पै.)	डी.ऐ.यू. महबूबनगर (रु. पै.)	कुल (रु. पै.)
A.	**प्रबंध खर्च :**				
	वेतन	1,84,432.40	13,455.00	0.00	1,97,887.40
	मानदेन	1,43,645.00	1,26,800.00	1,32,205.95	4,02,650.95
	किराया	54,340.00	36,000	31,000.00	1,21,340.00
	पेट्रोल/डीज़ल	35,598.20	18,510.90	29,665.85	83,774.95
	वाहन रखरखाव	39,711.70	27,584.30	36,605.00	1,03,901.00
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	21,976.20	4,191.60	9,472.20	35,640.00
	डाक एवं तार	6,115.15	249.00	336.00	6,700.15
	टेलीफोन एवं ट्रंककाल	31,283.45	14,494.55	10,545.85	56,323.85
	कार्यालय खर्चा	10,170.70	15,766.05	14,166.30	40,103.05
	आकस्मिक खर्च	50,581.65	4,972.10	7,134.15	62,687.90
	स्थानीय परिवहन	16,928.35	507.00	5,532.50	22,967.85
	बीमा	5,927.00	0.00	0.00	5,927.00
	यात्रा खर्च	1,62,456.70	21,619.25	25,500.40	2,09,576.35
	बैंक शुल्क	3,888.75	0.00	0.00	3,888.75
	बिजली खर्चा	1,041.00	1,150.00	476.00	2,667.00
	पानी खर्चा	2,844.40	0.00	0.00	2,844.40
	खाता जाँच शुल्क	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	कुल A	7,75,940.65	2,85,299.75	3,02,640.20	13,63,880.60

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

प्लाट नं. 8, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 016

1-04-95 से 31-03-96 तक खर्च कथन

विवरण	राज्य कार्यालय (रु. पै.)	डी.ऐ.यू. मेदक (रु. पै.)	डी.ऐ.यू. महबूबनगर (रु. पै.)	कुल (रु. पै.)
B. **कार्यालय खर्च :**				
प्रलेखन	33,045.10	15,198.50	18,583.00	66,826.60
समाचार पत्र	0.00	1,709.00	0.00	1,709.00
प्रकाशन	3,09,708.00	0.00	0.00	3,09,708.00
द्रव्य उत्पादन	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	2,060.85	5,486.10	2,413.50	9,960.45
गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ	76,870.65	8,217.50	6,667.80	91,665.95
प्रशिक्षण खर्च	72,683.20	52,680.05	91,638.95	2,17,002.20
बैठकों का खर्चा	4,926.95	82,061.45	1,26,096.05	2,13,084.45
जिला मेला	0.00	72,893.75	89,198.15	1,62,091.90
समूह बैठकों का खर्चा	0.00	1,111.95	6,952.75	8,064.70
संघ नेताओं के बैठकों का खर्चा	0.00	1,120.85	0.00	1,120.85
संघ फण्ड बैठकों का खर्च	0.00	861.00	447.00	1,308.00
एन.एफ.ई. बैठकों का खर्च	0.00	229.00	17,902.50	18,131.50
संघ फण्ड	0.00	2,41,300.75	1,63,200.00	4,04,500.75
संघ कुटि	0.00	1,05,000.00	60,000.00	1,65,000.00
वाटर शेड	0.00	2,697.25	482.00	3,179.25
निर्धारण	0.00	2,187.65	0.00	2,187.65
एम.के.एस. खर्च	0.00	0.00	75,407.15	75,407.15
मानदेय सहयोगिनियाँ	0.00	1,08,350.00	1,30,000.00	2,38,350.00
एफ.टी.ए. सहयोगिनियाँ	0.00	31,500.00	39,000.00	70,500.00
एन.एफ.ई. किट एवं ब्लॉक बोर्ड	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
एम.वी. फाउण्डेशन खर्च	5,98,279.68	0.00	0.00	5,98,279.68
कुल - B	11,49,849.43	7,32,514.80	8,27,988.85	27,10,353.08

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

प्लाट नं. 8, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 016

1-04-95 से 31-03-96 तक खर्च कथन

	विवरण	राज्य कार्यालय (रु. पै.)	डी.ऐ.यू. मेदक (रु. पै.)	डी.ऐ.यू. महबूबनगर (रु. पै.)	कुल (रु. पै.)
C.	**खरीदी परिसम्पत्तियाँ :**				
	कार्यालयीन सामग्री	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
	फर्नीचर एवं फिक्चर्स	11,461.00	7,119.00	3,400.00	21,980.00
	कम्प्यूटर	98,010.00	0.00	0.00	98,010.00
	जिराक्स मशीन	1,12,903.00	71,687.00	71,687.00	2,56,277.00
	कुल - C	2,24,329.00	78,806.00	75,087.00	3,78,222.00
D.	**जमा एवं उधार :**				
	जमा किराया	0.00	9,000.00	2,600.00	11,600.00
	उधार	820.32	0.00	0.00	820.32
	कुल - D	820.32	9,000.00	2,600.00	12,420.32
	कुल - (A + B + C + D)	21,50,939.40	11,05,620.55	12,08,316.05	44,64,876.00

विवरण	राज्य कार्यालय	डी.ऐ.यू. मेदक	डी.ऐ.यू. महबूबनगर	कुल
प्राप्त उधार				2,93,697.50
उधार	2,93,697.50	0.00	0.00	
जमा किराया	0.00	5,400.00	5,000.00	10,400.00
कुल -	2,93,697.50	5,400.00	5,000.00	3,04,097.50

लेखा अधिकारी

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

बैंक संधि कथन - A/c No. 7402

आंध्रा बैंक अमीरपेट ब्रांच, हैदराबाद

	नकद किताब के अनुसार तुलन :	राशि रु. पै.
(+)	निकाले गये चेक्स जिनका बैंक पास बुक में डेबिट नहीं किया गया	2,32,289.75
(i)	आडियो विज़न Ch. No. 0293714 दिनांक 30-03-1996	5,050.00
(ii)	क्लासिक ट्रेडर्स Ch. No. 0293715 दिनांक 30-03-1996	40,615.00
(iii)	गुलबर्गा ट्रावेल्स Ch. No. 0293716 दि. 30-03-1996	1,230.00
(iv)	किराया - श्रीमान फरहान रशीद Ch. No. 0293717 दिनांक 30-03-1996	4,180.00
(v)	वेतन - श्रीमती कामेश्वरी ज. Ch. No. 0293718 दिनांक 30-03-1996	8,675.00
(vi)	स्वयं Ch. No. 0293719 दिनांक 31-03-1996	2,500.00
(vii)	स्वयं Ch. No. 0293720 दिनांक 31-03-1996	2,500.00
(viii)	टेलीफोन चार्जेस Ch. No. 194202 दिनांक 29-09-1995	3,151.00
		3,00,190.75
(–)	चेक्स, जमा राशि जिनको क्रेडिट नहीं किया गया (निश्चित जमा राशि)	(–) 3,00,000.00
	बैंक पास बुक अनुसार तुलन (रु. एक सौ निन्यांनवे एवं पच्छहत्तर सिर्फ)	190.75

स्थान - हैदराबाद
दिनांक - 10-06-1996

पी. श्याम राव
लेखा अधिकारी